

[श्री विजय गोयल]

परम्परा की बात की है, वे भी चाहते हैं कि सरकार के पास जब Business है तो दो बिल्स निकल जाएं और discussion जिस प्रकार से हर बार हम मंगलवार को लेते हैं, तो इस Short Duration Discussion को भी हम कल ले लेंगे। इसके लिए हाउस का टाइम थोड़ा बढ़ाना भी पड़े तो आप बढ़ा लीजिए।

श्री सभापति: कृषि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पूरा देश इसके बारे में चिंतित है, खुद मैंने भी कहा, इसलिए कल किसी भी हालत में इसे लेंगे। मेरा सुझाव है कि आज हम दो बिल्स लेंगे और इसके लिए अगर आठ बजे तक बैठ पाएं तो अच्छा होगा। अब आगे बढ़िए। We will not take up the Bills. The Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017 and The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017 will be discussed together. The Minister to move the motion. जो स्पीकर्स बिल पर बोलना चाहते हैं, वे थोड़ा तैयार हो जाएं।

GOVERNMENT BILLS

***The Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017**

And

***The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि लोक सभा द्वारा किए गए संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 में निम्नलिखित अनुकल्पीय संशोधन तथा संशोधनों पर विचार किया जाए अर्थात्:-

"कि पृष्ठ 2 और 3 पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए:-

"3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यक्ष, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना और ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षोपायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशेषतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

[श्री थावर चन्द गहलोत]

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे।"

अधिनियम सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

"अडसठवें" के स्थान पर "उनहत्तरवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-

"2017" के स्थान पर "2018" प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदय, संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक लम्बे समय की मांग की पूर्ति के लिए पिछले सत्र में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। लोक सभा ने उस बिल को सर्वानुमति से पारित किया था और वह बिल बाद में राज्य सभा में आया था। राज्य सभा में भी उस पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद राज्य सभा ने खंड-3 को विलोपित करने का निर्णय लिया था। खंड-3 विलोपित होने के बाद वह विधेयक पारित किया गया था। अब चूंकि खंड-3 विलोपित हो गया और वह इस विधेयक का हृदय है, ऐसा अर्थ निकलता है क्योंकि उसमें आयोग के गठन का प्रावधान है - अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, तीन सदस्य होंगे और उसके अधिकार और कर्तव्य क्या-क्या होंगे, इन सब बातों का इसमें उल्लेख है। अगर यही विलोपित हो गया तो इस विधेयक के पास होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आयोग का गठन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने लोक सभा में, यहां से जो इस खंड-3 को विलोपित करने का निर्णय लिया था, उसको पुनर्जीवित करने के संशोधन के साथ एक विधेयक प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साथ हमने जो खंड-3 की धारा 2 है, जो 338(ख) है, उसका एक भाग है, 2, 3, 4, 5 और 6 के बाद जो "ग" है, उसमें एक संशोधन और किया। इस आशय की चर्चा यहां हुई थी और अपेक्षा भी की थी कि हम उसको स्वीकार करें, उसको हमने स्वीकार कर लिया। जैसा पहले प्रावधान था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना। तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, इसको और सुस्पष्ट करके, इसमें संशोधन प्रस्तुत किया है और वह संशोधन इस प्रकार है - सामाजिक और शैक्षिक

दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भागीदारी करना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। इस प्रकार के अधिकार इसमें हमने और देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही साथ इसमें जो बिन्दु क्रमांक 7 है, उसमें पहले प्रावधान था - जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी। माननीय सदस्यों ने इस विचार को व्यक्त करते हुए यह कहा था कि राज्यपालों की बजाय 'सरकार' शब्द लिखा जाए। हमने इस बात को भी स्वीकार किया है और अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं, वह इस प्रकार होगा - जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी। अब कुल मिलाकर यह जो सुझाव राज्य सभा का था, वह तो हमने स्वीकार कर लिया। एक सुझाव ऐसा था कि महिला सदस्य हो, ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया जाए। मैंने उस समय भी सदन को आश्वस्त किया था कि हम जब नियम बनाएंगे, तो हम एक महिला सदस्य होने का प्रावधान करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 338 में जो अनुसूचित जाति आयोग है और अनुच्छेद 338(a) में जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उन दोनों आयोगों के गठन के बारे में भी यही प्रावधान है। एक्ट में महिला होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, परन्तु रूल्स में महिला होने का उल्लेख किया गया है। अन्य जो आयोग बने हुए हैं, उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। अक्षरशः जो एस.सी., एस.टी. आयोग की परिभाषा है, इबारात है, वैसी ही इबारात इसमें भी लिखी गई है। एक बात और आई थी कि यह राज्यों में हस्तक्षेप करेगा, राज्यों के अधिकारों का हनन करेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका राज्य से सीधा-सीधा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। यह आयोग केंद्र से संबंधित है और जो ओ.बी.सी. की केंद्र सूची है, उसके बारे में सामान्यतया विचार-विमर्श करने के साथ-साथ, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के संबंध में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनकर सरकार को सलाह देगा कि समस्याओं के समाधान के लिए इस-इस प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बाद में सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। राज्यों पर इस आयोग के प्रतिवेदन का किसी प्रकार से, बंधनकारी नहीं होने के कारण, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एस.सी., एस.टी. की जो सूची है, वह तो कॉमन है, राज्य और केन्द्र की एक ही है और ओ.बी.सी. वर्ग में ऐसा नहीं है। ओ.बी.सी. वर्ग में केन्द्र की सूची अलग है और राज्यों की सूची अलग है। राज्यों में भी ओ.बी.सी. आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है और अनेक राज्यों ने इस प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। राज्यों की सूची में कोई नाम जोड़ना हो या कोई नाम घटाना हो, राज्य का आयोग यह करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य सरकार की राय से या जैसे भी वे प्रक्रिया तय करते हैं, वे उसका निर्णय करते हैं। यह केंद्रीय आयोग जो होगा, वह केंद्र की सूची में घटाने और बढ़ाने की प्रक्रिया पर विचार करेगा। इसके साथ ही साथ ओ.बी.सी. वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याएं, उनके साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के बारे में जब शिकायतें मिलेंगी तो उस पर सुनवाई करके, भारत सरकार

[श्री थावर चन्द गहलोत]

को प्रतिवेदन देगा और प्रतिवेदन के ऊपर एक्शन टेकन होकर हम संसद के समक्ष आएंगे। कुल मिलाकर जो चर्चा पिछले टाइम राज्य सभा में हुई थी, उन विषयों का हमने इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अत्याधिक महत्वपूर्ण विषय है, 1980 के बाद से निरंतर इस प्रकार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओबीसी कमीशन की मांग की जा रही थी। उस मांग को पूरा करने के लिए संसद के सदनों में भी पहले चर्चा हुई, अनेक माननीय सांसदों ने भी चर्चा की, स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर चर्चा की और एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इस प्रकार की राय आयी कि इस प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओबीसी कमीशन होना चाहिए। लम्बे समय से चली आ रही उस मांग की पूर्ति के लिए नरेन्द्र मोदी साहब की सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करने वाला आयोग होगा, उनकी समस्याओं को सुनकर के समाधान करने की दिशा में सरकार का मार्गदर्शन करने वाला होगा, इसलिए इसकी महती आवश्यकता है कि बिना किसी विलम्ब के यह विधेयक पास होगा, तो सरकार जल्दी से जल्दी आयोग के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ करेगी। देश भर से जो बहुत सारी समस्याएं आई हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान आयोग के अभाव में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी जातियों को केन्द्रीय सूची में जोड़ने के प्रस्ताव आए हैं, आयोग का गठन नहीं होने के कारण जाति को घटाना या बाहर करने की कार्यवाही को भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और उनको सही समय पर शीघ्र न्याय मिलने की दिशा में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को समझकर सारा सदन एकमत होकर, इसको पारित करने की कृपा करेगा, तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि लोक सभा में तीन-चार दिन पूर्व ही इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित किया गया है। इसके पक्ष में 406 मत आये और विरोध में एक भी मत नहीं आया है। वह जनता का सदन है, उस सदन की भावनाओं को भी ध्यान में रखकर, विचार करके हम इसको आज ही पारित करेंगे, तो कृपा होगी। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

The questions were proposed.

श्री सभापति: श्री बी.के. हरिप्रसाद।

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्नाटक): चेयरमैन सर।

श्री सभापति: एक मिनट श्री बी.के. हरिप्रसाद जी। मैं एक अपील करना चाहता हूँ। जो संख्या के हिसाब से बड़ी पार्टियां हैं, उसके सदस्य अपना समय पूरा कर लेते हैं और बाद में जब छोटे दल का, इंडिपेंडेंट्स का या बाकी का मौका आता है, तो स्वाभाविक रूप में, हमारे रूल्स के हिसाब से उनको एक-दो मिनट का समय बोलने के लिए मिलता है, तब बड़ी पार्टियां कहती हैं, सर, टाइम बढ़ाओ। अगर वे उतना बड़ा दिल पहले ही दिखायें, कुछ समय उनके लिए बचे, तो यह उनके लिए अच्छा होगा। उनको भी बोलने का मौका मिलेगा और आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखकर दोनों-तीनों बड़ी पार्टियां आगे बढ़ें, जिनकी संख्या ज्यादा है। आप लोग कृपया इस विषय को

भी ध्यान में रखिए। श्री बी.के. हरिप्रसाद।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: चेयरमैन साहब, मैं बहस शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आपने टाइम के बारे में पाबंदी लगायी है और कुछ सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि हम लोग 50 परसेंट लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पांच घंटे में 50 परसेंट को मत खत्म करिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए।

श्री सभापति: इसका समय तीन घंटे का है। चर्चा जितनी भी हो, रिजल्ट फाइनली वही निकला है। ...**(व्यवधान)**... इसलिए निगेटिव हो तो provoke करिए। इसका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। आप बोलिए।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: सर, मैं सबसे पहले थावर चन्द गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 31 जुलाई, 2017 को जो हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट्स की मांग की थी, उसमें से कुछ accept करके, कुछ को ठुकरा के उन्होंने दोबारा बिल पेश किया है, उसे लोक सभा ने पारित किया है। राज्य सभा ने जो सुझाव दिए हैं, उनको accept करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति जी, इस मंत्रिमंडल में श्री थावर चन्द गहलोत जी एक अच्छे और gentleman मंत्री हैं। मैंने पिछली बार इस 123वें amendment के बारे में initiate किया था। श्री अमित शाह जी ने भी कल मुगलसराय में बोला कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ काम किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (गुजरात): नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: ठीक है। आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है।

सभापति जी, ओबीसी के बारे में वर्ष 1953 में पहला कमीशन काका कालेलकर के नेतृत्व में बनाया और उसकी रिपोर्ट आई, तो उसके अनुसार देश में ओबीसी का census होना चाहिए। उसके बाद वर्ष 1978 में मंडल आयोग बनाया गया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम यूनियनम गवर्नमेंट के केस में बहुत clearly बोला कि आर्टिकल 343 के तहत National Commission for Backward Classes गठित किया जाए।

सर, मैं आगे बोलने से पहले कहना चाहता हूँ कि श्री बी.के. हांडिक साहब, असम से बहुत senior Member of Parliament थे। वे वर्ष 2012 में Standing Committee के चेयरमैन रहे। उन्होंने NCBN को संवैधानिक दर्जा देने के लिए recommend किया था। उसके बाद भी लगातार कोशिश जारी रही। बाद में हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी ने इस बारे में एक Parliamentary Forum गठित करने का प्रावधान किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री हनुमन्तराव ने NBCB को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लड़ाई छेड़ी थी। बाद में, हमारी सरकार में यह काम नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आई। तब लोग सोच रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन तभी हमारे श्री तिरुची शिवा जी का एक प्राइवेट मैम्बर बिल पारित हुआ। तब हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी NCBC को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक प्राइवेट मैम्बर बिल देंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने संविधान संशोधन करने के उस बिल को accept किया। तब सरकार जागी और तब संविधान संशोधन करने का यह बिल लाया गया।

[श्री बी.के. हरिप्रसाद]

महोदय, मैं वर्ष 1993 में और वर्ष 2005 में भी इस हाउस का सदस्य था। तब श्री नरसिंहराव जी प्रधान मंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में श्री सीताराम केसरी जी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का एक बिल लाए थे। सारी पार्टियों के कई लोगों ने कुछ न कुछ करके उसके खिलाफ काम किया। यह डेमोक्रेसी है। इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। बाद में वर्ष 2005 में जब अर्जुन सिंह जी HRD Minister थे, तो higher education में OBC को आरक्षण देने की बात कही गई। तब भी सारा हाउस एक मत का था, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य, जो अब तृण मूल पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया और एक अरबपति सांसद थे, उन्होंने भी उसके खिलाफ बोला और वे दोनों उसके खिलाफ बोलते-बोलते हुए पोलियम तक चले गए, परन्तु उसके खिलाफ कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी के सदस्य ने कुछ नहीं बोला।

महोदय, जब UPA की सरकार थी, तब job के लिए जहां-जहां interview होता था, वहां-वहां interview लेने वाली कमेटी में एक OBC का मैम्बर रहना चाहिए, इस बारे में ऑर्डर निकाला था। तभी से interview लेने वाले हर पैनल में एक OBC का मैम्बर रहता है। UPA की सरकार के समय में श्री जयराम रमेश जी और श्री आनन्द शर्मा जी आदि सब लोगों ने मिलकर वर्ष 2011 में एक cast census किया था। उसमें कास्ट और religion का भी census हुआ। मेरा श्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि उस कास्ट सेंसस के आंकड़ों को प्रकाशित करा दीजिए, तभी पता चलेगा कि देश में OBC की संख्या कितनी है या अन्य लोगों की कितनी संख्या है। आपने जो 123वां amendment किया है, इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने कुछ संशोधन करने की मांग रखी थी। हमारे पूर्वजों ने, the farmers of the Constitution, had clearly laid down in the Constitution, जैसे थावर चन्द गहलोट जी ने कहा, Article 338. It is only to safeguard the interest of the Scheduled Castes. Article 339 is to safeguard the interest of the tribals; Article 340 is to safeguard the interest of the OBCs. अभी बाद में, 338, 338 - बी में एस.सी. और एस.टी. का कमीशन भी गठित हो गया है। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एस.सी. वर्ग का इश्यू अलग है, एस.टी. वर्ग का इश्यू अलग है और ओबीसी वर्ग का इश्यू अलग है। Identifying SCs is no problem at all because in majority of the villages, the SC hamlets are outside the villages. They can be easily identified. As far as the tribals are concerned, they can also be easily identified. They are in the midst of the forest. As far as the OBC is concerned, it is the toughest job to identify who is an OBC and who is not an OBC. आज सुबह एक मेम्बर ने डीएनटी के बारे में बात की nomadic in nature उसका सेंसस हुआ है, नहीं हुआ है, इसका पता नहीं है, मगर कर्नाटक में डीएनटी ओबीसी वर्ग है। Actually, they should have been in the ST. राजस्थान में मीणा लोग ट्राइबल्स में आते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में हैं, बिहार में बनिया ओबीसी वर्ग में है, but in other parts of the country, they are upper caste. Washermen in the Southern part of the country are OBCs, whereas, in the Northern part of the country, they are SCs. Sir. Valmiki is tribals in Karnataka. You know pretty well. You represented Karnataka for 18 long years. Valmiki is STs in Karnataka, whereas, Valmiki is SCs in northern

part of the Karnataka. Sir, it is a very complicated issue of identifying the OBCs. Each time, the more you identify, the more classes you get because the people who are ruling this country for ages, they never wanted these sections to come up. This is where there is a need for the constitutional status for NCBC. Sir, I will just quote clause 9 of Article 338B. The proposed Bill certainly affects the federal structure which, in a way, as it mandates the Union and every State Government to consult the Commission on major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. Sir, as rightly pointed out by Thaawarchand Gehlotji, the National Commission for Backward Classes is at the national level; the State level Commissions are at the State level. सर, कुछ कास्ट्स स्टेट लेवल में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स में आती हैं, वे नेशनल लेवल में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती हैं, इसलिए स्टेट लेवल में जो पावर्स हैं, उसमें उनको ऐसे ही रिटेन करना पड़ेगा। मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी ने शायद भूपेन्द्र यादव जी बोल सकते हैं। हम हमेशा डिस्प्यूट करते हैं कि 340 में कोई प्रावधान नहीं है, temporary commission बनाने का प्रावधान है। वह कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं है। It is absent there. Sir, it is at the direction of the Supreme Court that we are repealing the Act. After the direction of the Supreme, an Act was formed and we are repealing it and bringing a new Act. The Supreme Court had clearly mentioned in its judgement the qualification of the Chairman, Vice-Chairman and the Members. It has clearly mentioned it. It has prescribed that either the ex-Judge of the High Court or the ex-Judge of the Supreme Court or the sitting Judge of the High Court or the Supreme Court should be given the Chairmanship of the Commission. But, unfortunately, hardly we have any OBCs or the SCs in the Supreme Court. Maybe, in the High Courts, we may be having. But we hardly have anybody in the Supreme Court. There is a huge disparity in this matter.

Sir, there are some important points which I would like to mention here. Our major demand was, while constituting the - the Minister has accepted that — Commission, one lady member from the OBC should be there as the member of the Commission. There was another demand that we made. There are other minorities as well and not just Muslims. The moment we take the name of minorities, the Bhartiya Janata Party gets upset. There are OBCs in the Muslim community also. *Ansaris* are the major OBCs in the Muslim community, who are the weavers. There are the *Pasmanda* Muslims. The *Vishwakarmas* among the Sikh community are also one of the most backward classes. We are denying them the opportunity to become members. It is our request to the Minister that if possible, he should accommodate one of the minority members as a Member in the National Community for Backward Classes.

Sir, as I said earlier, Article 341 of the Constitution identifies the Scheduled Castes in the country and Article 342 identifies Scheduled Tribes in the Census. Now, we are adding

[श्री बी.के. हरिप्रसाद]

Article 342A to identify .Backward Classes. As I said, I still feel that this Commission should be formed under Article 340 as the soul of the Constitution meant for the OBCs is Article 340. There is a vast difference between the SCs, STs and the OBCs.

Sir, quite often, Narendra Modiji, Amitbhai Shah and the rest of the entire BJP speak...

श्री सभापति: ठीक है, लेकिन आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं?

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, he is our Prime Minister. ...*(Interruptions)*... Shri Amitbhai Shah is our Member. I am appreciating them. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: वह ठीक है, आप विषय पर आइए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: I am not saying anything against them, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am not worrying. Even if you say something against him, he would reply. The point is, focus on the subject. One-third of the time has been given to you as you have three speakers from your Party. Otherwise I would not have. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Chairman, Sir, please. ...*(Interruptions)*... I am not saying anything against individuals. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, let the Member express himself. We have a nice discussion going on. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have no problem, but I am only reminding him that it would be better if we focus on the issue and complete it... ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, they are people who are Members. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठ का मत बोलिए।

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, I would not say anything personal against Shri Amit Shah or Narendra Modiji because they have got a lot of love for the backward classes. Majority of the backward classes are unemployed and majority of the members involved in the *love jihad*, *ghar wapasi* and *gau rakshaks* are OBCs. I could quote one example from Mangalore, as a lot of discussions take place on TV channels about how 24 Hindus were killed in Mangalore. Sir, majority of the people who are in jail are OBCs.

They are the foot soldiers for all these bad things which are happening because they would not find anybody from the creamy layers in these cases. That is how they want to defend this Backward Classes Bill. That is fine. At the same time, there is another major request to you. There is a creamy layer. Ram Gopal Yadavji knows pretty well that we have been fighting for this issue for a long time. In the UPSC exams, about 22 candidates passed the interview, but just because they are OBCs, they have been brought under the definition of creamy layer and they have been denied the job. They have not been given posts even to this day. We have been raising the issue for so long. Amit Shahji should use his influence and see to it that all these OBCs get the job.

Sir, another thing that I wish to mention is, there is a vast disparity in making recruitments for OBCs. There is no dearth of laws and programmes. The implementation part is ridiculous. As of now, at the national level, the total number of OBCs employed in various Central Government offices is just 19.7 per cent. The case is different in some of the States in the southern part of the country, as you know pretty well. Majority of the speakers say that we should restrict the reservation to 50 per cent. Sir, it was in 1963 that in the Balaji *Versus* the Union Government case — Balaji was from Karnataka — the Supreme Court had clearly said that there would be no restriction on the reservation to 50 per cent unless you have the data on the Backward Classes. You cannot go beyond 50 per cent until you get the entire Census data. That is how, Sir, in Tamil Nadu, hats off to those Dravidian Parties, they have given 69 per cent reservation to the backward classes. ...*(Interruptions)*... I said, hats off to Dravidian Parties. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Hariprasad is saying. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): *

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, as you know, I come from Karnataka. My community is a microscopic linguistic minority. I speak Tulu, but I hardly find people speaking Tulu in this House or the Lower House. If, at all, I have come up to this position, it is because of Indira Gandhi's reservation policy. As you told me that I should not take anybody's name, I would like to say for my BJP friends that they are a *pitru* party; they are opposed to reservation. It is not being clarified. They are not accepted as a *matru* party because they are *pitru* party and its head opposes the reservation. These are crocodile tears for backward classes. So, they should not try to mislead the House or mislead the country. We are all for the backward classes; we are for this Amendment and

*Not recorded.

[Shri B.K. Hariprasad]

it was we who implemented all programmes for OBCs in the country, right from Pandit Jawaharlal Nehru, Shrimati Indira Gandhi, Shri Narasimha Rao, then to Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhiji. We have implemented the programmes. Let them not divert ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have two more speakers. See your time. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, I will not take much time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have no problem. You can take full time, but I am reminding you that your party has two more speakers — Shri Ripun Bora and Shrimati Chhaya Verma. So, please keep it in mind. Otherwise, you will be doing injustice to them.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, I will not take much time. Sir, our objection was that the Bill was partial. It should be in full. I agree that it is not a question of religion. People who are deprived of the opportunities whether they are Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, whoever they are, should get the opportunity and there should not be any disparity because once again I find only one gentleman from that section in that Ministry, Thaawarchand Gehlotji, and I think he will accept this proposal of accommodating the weaker sections in the National Commission for Backward Classes. Thank you for giving me this opportunity.

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI (Nominated): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the National Commission for Backward Classes Bill. As hailing from the lineage of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj's family, I always take the opportunity to speak on the social policies which are made for the society. Chhatrapati Shivaji Maharaj formed the Swarajya, rather a Hindu *Swarajya*. When Shivaji Maharaj formed the Hindu *Swarajya*, he never formed this *Swarajya* only for the Marathas. He formed it for all castes. So, that was the message then given by Shivaji Maharaj that it is not only for one community; it is for communities at large. It is a very important message which I relate to this. Secondly, his ninth descendant, Chhatrapati Shahu Maharaj, gave the first reservation in Kohlapur State and first in India also in the year 1902. Can you imagine! ...*(Interruptions)*... In the year 1902, Shahu Maharaj was the first person to give reservation in Kolhapur State; one hundred and seventeen years back. Can you imagine the adverse conditions then! But, he had to do it for reasons of social equality.

The magnitude of the message was so strong that Dr. Babasaheb Ambedkar had to imbibe the 50 per cent reservation in the Constitution. Shahu Maharaj also, when he gave this reservation, did not give it to only one community, that is to Marathas. He gave to all the communities, all the castes, which was called as the 'Bahujan Samaj'. The main objective to give reservations was that after getting education facilities, they should also get equal opportunities for employment as the principles of social equality. That was the message. I quote Dr. Babasaheb Ambedkar. He said, "Shahu Maharaj is the pillar of social democracy".

I have a few submissions, Sir, which are related to this Amendment Bill. The Bahujan Samaj which includes - SC, ST, OBC, Marathas, Lingayats, and many more, was given 50 per cent reservation in the Kolhapur State. Now, the uproar which is happening in Maharashtra for the Maratha reservation is one of the reasons, because after independence, when it was included by Shahu Maharaj then, why were Marathas not given reservation? That is one of the reasons for the Maratha uproar which is happening. I don't say that Marathas are doing the right thing by taking law in their own hands. After Shahu Maharaj, the British studied Indian societies through different High Commissions between 1918 and 1940. They divided the Indian society into various categories. The first was the Scheduled Caste, which was the untouchable caste. The second which was the Scheduled Tribes which were the people originally living in forests. And the third was the intermediate communities which were basically the backward classes who were dependent on farming. And, on 23rd April, 1942, the Commission accepted many Castes, specially, Marathas in it. So, on 23rd April, 1942, the GR No. 167/34 had listed 228 castes. To speak in this context, number 124 was Kunbi, that is, Kurmi. And, the number 149 was the Marathas. The above said classification continued in Maharashtra even after Independence, Sir, with certain modifications till November, 1950. In the year 1961, the State Backward Commission was formed under Shri B.D. Deshmukh. The Committee submitted its first modified list of castes in GR No. CBC - 1467 dated 13th October, 1967, wherein three castes were excluded, namely, Marathas, Mali and Teli. However, interestingly, within a year, GR No. CBC - 1468 was published on 13th April, 1968. And, in the revised list, Mali and Teli were included, but, Marathas were excluded. We have to keep in mind that the Mandal Commission was also formed on the basis of Kalelkar Committee. Now, what does the Kalelkar Committee say? The Kalelkar Committee, in the year 1955, had included 2,899 castes. And, when the Mandal Commission submitted its report, it had 2,998 castes on the list excluding only one caste, that is, the Maratha Community. It is not clear as to why successive committees and

[Shri Sambhaji Chhatrapati]

commissions had excluded the Maratha Community from the list of Backward Classes while they were so recognized by the Shahu Maharaj, by even the Britishers, and the B.D. Deshmukh Committee in 1967. Sir, we don't have any answers why Marathas were kept out of 1967 Backward Classes list. Now, I really support the upcoming Commission which has been formed. There are various castes and communities which are still economically backward. I am not talking about Marathas only; there may be many other castes also. But, this Bill, which is being enacted today, will give an opportunity to other OBCs also to appeal and seek justice. It is a ray of hope for all the OBC communities, which are not included yet. So, I support the Bill.

Sir, I will give one small example which shows social equality. In the early 1900s, Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj told Gangaram Kamble to start a hotel. He belonged to a backward community. Maratha was supposed to be a superior caste, the warrior caste and the upper caste also. But, every morning, Shahu Maharaj used to take his buggy to go to Gangaram Kamble's hotel and have a cup of tea. Now, the condition was such, the system of untouchability was so strong, situation was so adverse, but even at that time, Shahu Maharaj used to call all upper-caste communities and have a cup of tea there. So, that was the sign of social equality.

Sir, I support the Government on this Bill because they have come out with the same system whereby all the OBCs, who have not got the benefits, will get the benefit of social equality. Thank you, Sir.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सदन में प्रस्तुत संविधान (एक सौ तेइसवें संशोधन) विधेयक, 2017 का समर्थन करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें एक आशंका है। गहलोट जी कहां चले गए? ...**(व्यवधान)**... मुझे आशंका है कि इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद और एक्ट बन जाने के बाद भी, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ आज जो ज्यादातियां हो रही हैं, वे रुक नहीं पाएंगी, क्योंकि जिस तरह के विभिन्न न्यायिक निर्णय सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह कमीशन उनमें कोई हस्तक्षेप कर पाएगा। जब न्यायिक निर्णय नहीं भी आ रहे थे, तब भी ऐसा होता रहा है। इंदिरा साहनी केस के बाद, जब कोर्ट ने 27 परसेंट रिजर्वेशन को valid माना, उसके बावजूद जो Indian Civil Services, Indian Police Service and Indian Foreign Service में finally selected candidates थे, उनमें से सैंकड़ों candidates को training के लिए नहीं भेजा गया। उनकी संख्या सैंकड़ों में है, एक-आध नहीं है। आप पता कर लीजिए, DoPT के record से पता कर लीजिए कि 1994 से लेकर अब तक कितने लोगों को training के लिए नहीं भेजा गया। एक मामले में तो हमारे मित्र के लड़के को, जो IFS में select हो गया था और दूसरे candidate की training शुरू हो गई, लेकिन उसे नहीं भेजा गया। वे लोग मेरे पास आए कि दूसरे लोगों की training शुरू हो गई, लेकिन मेरा लड़का यद्यपि finally select हो गया है, लेकिन उसे training के लिए नहीं भेजा जा रहा है। उस समय नेताजी ने गृह मंत्री जी ने कहा तो 15 दिन बाद उसे training के

लिए भेजा गया। उसके लिए तो चलो नेताजी ने कह दिया, लेकिन बाकी सबके लिए कहने वाला कोई नहीं है। इस अन्याय को आप कैसे रोकेंगे?

अभी न्यायालय ने एक फैसला कर दिया कि OBC category का candidate सिर्फ OBC category में ही जाएगा। अगर मान लीजिए, वह टॉप करता है, तब भी OBC category में ही जाएगा। एक तरफ न्यायालय का यह कहना है कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुल 49.5 परसेंट आरक्षण है। जब ओबीसी, एससी या एसटी का कोई व्यक्ति मेरिट में ऊपर आता है, तो वह general category में आता है, लेकिन वह general category में नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने देश की 15 परसेंट जनसंख्या के लिए 50.5 परसेंट रिजर्वेशन कर दिया है। हुआ या नहीं हुआ, संजय राउत जी? 15 परसेंट आबादी के लिए 50.5 परसेंट आरक्षण और 85 परसेंट आबादी के लिए 49.5 परसेंट आरक्षण, जब न्यायालय इस तरह के फैसले देने लगेंगे, तो आप आयोगों को लाइए, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अभी आप क्या करने वाले हैं? जब पिछड़ा वर्ग आयोग आ जाएगा, तो इसी पिछड़ा वर्ग आयोग से आप इसमें फिर और वर्गीकरण कराएंगे कि इन जातियों ने ज्यादा आरक्षण ले लिया, ओबीसी में इन जातियों ने बहुत आरक्षण छीन लिया है, एससी एवं एसटी में इन जातियों ने बहुत आरक्षण छीन लिया है। यह तो सबको दिखाया पड़ता है, लेकिन जो 50.5 परसेंट में, जिनकी आबादी इस देश में 0.1 परसेंट नहीं है, उनके 10-10 परसेंट आईएस हैं, 15-15 परसेंट आईएस हैं। उनकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह झंझट हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अमित शाह साहब, अगर आप चाहें, तो यह झंझट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इस देश में सारी जातियों की जातिवार जनगणना करा लीजिए और उसी के हिसाब से आरक्षण कर दीजिए। कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई जनरल नहीं, आप केवल सारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण करा दीजिए। हम और पूरा बैकवर्ड तथा सारे लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। वरना आगे यह साचिश चलेगी कि ओबीसी से इस जाति को हटा दिया जाए, आप उसको हटा दीजिए। पिछली बार एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के बारे में यह कह दिया था कि एक कम्युनिटी के लोग इम्पॉर्टेंट पदों पर हैं और बाकायदा नाम लेकर कहा था कि वे किस जाति के हैं। मुझे मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आंकड़े देने पड़े और बताना पड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आईजी यादव कम्युनिटी के थे, 8 कलस्टर यादव कम्युनिटी के थे और 9 या 10 एसपी थे। आईजी से ऊपर एडीजी, डीजी कोई थे ही नहीं, एक एडीजी थे, वे बाद में डीजी हो गए। इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी आबादी के बाद कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी यह लांछन लगाए, तो यह अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब आप जो यह आयोग बना रहे हैं, आगे चल कर इससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे यह तो होगा कि वहां ज्यादाती हो रही है, डीओपीटी वाले कर रहे हैं, अगर कोई complaint कर दे, तो वह उसको बुला लेगा। यह तो होने लगेगा, लेकिन जो असली जड़ है, जहां से सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं, आपकी इच्छा के खिलाफ भी फैसले कर देते हैं, उस जड़ में ये मंत्री जी बैठे हुए हैं, वहां आरक्षण कीजिए यानी न्यायपालिका में आरक्षण कर दीजिए। जब तक न्यायपालिका में इनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, इन्हें न्याय नहीं मिलेगा।

श्री सभापति: राइट, राम गोपाल जी...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, अभी तो हमारा समय बाकी है।

श्री सभापति: एक मिनट है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, एक मिनट में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है।

श्री सभापति: ठीक है।

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी करना चाहें, वह आप नहीं कर पाएंगे, तुरंत दूसरा फैसला आ जाएगा। लोग आप लोगों की कैबिनेट के फैसले को बदल देते हैं। इंदिरा साहनी केस में 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच का फैसला था, आरक्षण वाला उसी का फैसला था और यह फैसला कि ये लोग जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, यह एक जज का फैसला था और वह जज भी हाई कोर्ट का जज था। आप देखिए कि हाईकोर्ट का एक जज, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच के खिलाफ फैसला दे सकता है और वह लागू भी हो जाता है। आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप judiciary में आरक्षण नहीं देंगे और जब तक यह कीड़ा दिमाग में पाले रहेंगे कि Backward और Scheduled Caste में यादवों ने, जाटवों ने आरक्षण ले लिया है, तो इस पर मैं कहता हूँ कि आप सभी को जातिगत कर दीजिए। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, आप जातिगत कर दीजिए, तो ऐसा करने से आधा परसेंट, एक परसेंट, दो परसेंट, तीन परसेंट, यहां तक कि मैं कहता हूँ कि 0.1 परसेंट नंबर भी नहीं आएगा, जो ये सभी अभी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं - इसलिए मैं कहता हूँ कि यह बना तो रहे हैं, लेकिन अगर आगे इस तरह की कोशिश होगी कि इसका भी विभाजन किया जाए, तो आंदोलन इस बात का होगा कि इस देश में जाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri A. Navaneethkrishnan. You have eight minutes and you have two speakers.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I will conclude in time.

Thank you, hon. Chairman, Sir. We welcome this Bill. The Constitutional status has been given to the Commission for Backward Classes. I am coming from Tamil Nadu, that is, *Amma's* State. So, I am not going to say anything which is not true. *Amma* was a real fighter for the backward classes, SCs and STs. That is why even the Dravida Kazhagam leader, Thiru K. Veeramani gave her the title in Tamil '*Samuga Neethikatha Veeranganai*'. It can roughly be translated as Saviour of Social Justice. For more correct translation, my brother, Tiruchi Siva, will give it. So, none other than Veeramani conferred this title. Indra Sawhney judgement fixed the ceiling of 50 per cent reservation. It cannot be breached. But it is an innovation, a revolution made by hon. Amma. She had read the judgement carefully, word by word. If the services and the educational institutions, if the candidates

from the backward classes are not represented sufficiently, then on the basis of quantifiable data, maximum reservation of 50 per cent can be exceeded. That is why she fixed it at 69 per cent for the first time in whole of India. We brought a law to implement that policy of 69 per cent and then that law has been included in the IX Schedule of the Constitution. I thank our Law Minister, Mr. Ravi Shankar Prasad. He is my senior. I am very proud to speak regarding reservation in his presence. Inclusion of this law in the IX Schedule will not give immunity. That is a Supreme Court judgement. But that inclusion can be sustained on the basis of quantifiable data. Of course, that law, brought by *Amma*, was challenged before the Supreme Court, but it was sustained on the basis of quantifiable data submitted by *Amma*. I even heard one of the speakers from Lok Sabha. Somehow or the other *Amma* implemented 69 per cent but other States have not been able to do that. Only because of the real thought for the depressed community, she was rendering justice as long as she was alive. The real social justice was rendered by *Amma* alone. That is why no other leader thought of this kind of innovation, revolution, that too against maximum limit fixed by a judgement of the Supreme Court of India. It was sustained. That is why I intervened. The learned senior Member from the Congress Party, I am sorry for the interruption. She must be given respect. We are not denying others' work and services. Only because of 69 per cent reservation policy implemented by *Amma*, candidates from very ordinary family hold the post of High Court Judge and can become District Collectors, Secretaries to the Government, doctors and lawyers. Many achievements are taking place and all the credit goes to *Amma*. That is why I intervened.

Regarding creamy layer for OBCs, we have one grievance. Depending upon the notification issued by the Central Government, many candidates hailing from OBC are not able to become Collectors or SP. It must be considered by the Central Government. It is a right thing that you have brought a constitutional amendment. A great number of OBC students are affected. Parental income is in no way helpful to the students or the candidates. I very humbly urge the Central Government to do the needful to remove the creamy layer concept and render social justice. Thank you, Sir.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Mr. Chairman, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this important and landmark Bill.

The National Commission for Backward Classes was set up under the National Commission for Backward Classes Act, 1993. If we pass this Bill today, the Commission will receive constitutional status. This is indeed an important moment in our constitutional history.

3.00 P.M.

[Shri Ahamed Hassan]

It must be pointed out that this Bill had gone back and forth between the two Houses of Parliament. When this Bill was initially sent to this House, it was referred to a Select Committee. Subsequently, this House returned the Bill to the Lok Sabha with a few amendments. What we have received today from the Lower House is the same version of the Bill that was debated exactly a year ago during the Monsoon Session of 2017.

The Lok Sabha, in its wisdom, has not accepted the suggestions that were made in this House regarding the composition of the panel. The Minister, however, gave his word to the Lok Sabha that once the Rules are framed the inclusion of a woman member in the panel will be ensured.

Sir, it is important to understand the need for such representation. The unique perspective of women belonging to the backward classes is essential as their experiences make them uniquely suitable to guide the panel on issues concerning women belonging to the backward classes. I hope the Minister delivers on his promise to the Lower House.

Sir, it must be pointed out that a major issue with the Bill still remains. Last year, when this Bill was debated in this House, my party had made its stand clear. We felt that this Bill unduly interferes in the States' rights. This bill gives power to the President to add to the list of backward classes for a given State after consulting the Governor. My colleague, Mr. Sukhendu Sekhar Ray had submitted a dissent note in the Select Committee. Our party believes that such a provision erodes the federal structure of our polity. Sir, the Bill seeks to create a Commission that has sweeping powers and centralised authority. The language in the Bill does not suggest that the President is bound by the advice given to him by the Governor on inclusion of communities into the list of backward classes. The President is merely supposed to consult the Governor. This undermines the role of State Governments.

As pointed out by my Party last time, Sir, it is the State Governments that have a closer role to play in the day-to-day lives of the people of this country. Implementation of schemes and provision of basic welfare services falls within the domain of the States. This places the State Governments in a unique position to understand the specific needs and aspirations of specific communities. Therefore, when one is speaking of the State List for Backward Classes, it must always be the sole prerogative of the State Governments to add communities to this List. The Commission at the national level shall not be as equipped as the States to understand these unique needs.

Sir, we further believe that the requirement of consulting the Commission on matters relating to major policy matters affecting socially and economically backward classes must not be mandatory when dealing with matters in the State List in the Seventh Schedule of the Constitution.

MR. CHAIRMAN: Hassanji, you have to speak and not read.

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, under this Government, there has been a creeping encroachment into States' rights and these provisions shall have the same effect. I urge the Minister to consider this and clarify how States' rights in this important matter shall be preserved if this Bill is passed.

I do commend this Bill for giving constitutional status to the National Commission for Backward Classes but do place on record our reservations. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Members, please take note — it is not my intention, but the rule says very clearly and specifically and there are a number of rulings — nobody can read a speech. They have to speak. If there is a reference or if you want to quote something, you can quote from any source and then you can say that you are authenticating this source. Please keep this in mind. Otherwise it will be odd for me to stop in-between and say, 'Please do not read'. That will be covered by media also. So, please keep this in mind. This is a suggestion not for Mr. Hassan only but this is for all the Members. Now, Dr. Banda Prakash. आपके पास चार मिनट हैं। You can speak in Telugu; you can speak in Hindi or English.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, thank you for giving me this opportunity. I wholeheartedly support the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017 and the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017.

Sir, as far as the National Commission for Backward Classes is concerned, the First Commission was constituted in 1953 under the Chairmanship of Kaka Kalelkar and its report was placed before Parliament in 1956. The recommendation of the Commission was that caste census should be undertaken. But, after lapse of so many years, the caste census of backward classes is not available in the Centre. After 1931, there was no caste census in the country. The Second Backward Classes Commission under Shri B.P. Mandal was constituted in 1978 and the report was submitted in 1980. They also recommended for eleven criteria for determination of social backwardness and educational backwardness. The Commission also gave recommendations that it should have a participatory role in planning process and socio-economic development of OBCs. The First and the Second

[Dr. Banda Prakash]

Commissions also recommended that there should be a separate Ministry to deal with the issues involving OBCs which constitute 52 per cent of the national population. Sir, finally, 27 per cent reservation is available since 1990's. If we look at some institutions, as per UGC Report, out of 31,446 appointed professors, only 9,130 belong to SCs, STs and OBCs. It constitutes for 29.03 per cent against the combined reservation of 49.5 per cent. At IIM, Ahmadabad, out of 642 faculty, only two belong to Scheduled Caste Community, one belongs to Scheduled Tribe community and only 13 belong to OBC community. If we take the statistics of number of industries and builders and in whatever areas where lot of wealth accumulates, all the centres are concentrated in some sectors only and not with BCs, OBCs, NBCs or SC/STs.

Sir, the Planning Commission of India report on Eleventh Five-Year Plan states that 'State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes in the country'. Unfortunately, after all these years, from 1956 onwards, even today, nobody puts a sincere effort to get the caste census for the backward classes. What programmes they are doing for the backward classes, they should know.

MR. CHAIRMAN: Prakashji, just see the time and conclude.

DR. BANDA PRAKASH: Generally, whenever our OBC candidates appear for the interviews, even though they are selected on the merit list, they would be put under the reservation category. So many recommendations have been given a number of times by the Ministries. Even from 1952 onwards, earlier the combined Ministries and ultimately now Backward Classes is with the Ministry of Social Justice and Empowerment. We request the Government, through you, Sir — they are now bringing the Backward Classes Commission Bill. — that they should also create a Ministry for the Backward Classes.

MR. CHAIRMAN: Right, Prakashji.

DR. BANDA PRAKASH: One minute, Sir. In the annual Budget, they have allotted only ₹ 6,908 crores for 68 crores of people.

MR. CHAIRMAN: Please, you have already taken one minute more.

DR. BANDA PRAKASH: Sir, in our Telangana State, our hon. Chief Minister gave ₹11,500 crores in the Budget for the development of Backward Classes in the Telangana

State. Sir, because of him, we stand here and speak today. We got an opportunity. Out of six of our Parliament Members in Rajya Sabha, four are from the Backward Classes. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Very good. Now, Shri T.K. Rangarajan. ...*(Interruptions)*... Vijay Goelji and Mr. Muraleedharan, I have been continuously and repeatedly telling everyone that nobody should stand in the lobby.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I thank the Minister that he has brought forth a lot of amendments. Before I speak, I just recall the contributions of South India whether it is Kerala or Karnataka or Tamil Nadu, especially, Tamil Nadu Justice Party and Thanthai Periyar. The role played by them in the last century, from 1920s, yielded results. Now, when we are enjoying 69 per cent in Tamil Nadu, that means that is the right fought by the Justice party and Periyar. I recall these and I salute them now. Sir, about the State power, I have already mentioned, subject to provision of law as correctly mentioned by Shri Hariprasad also, I join with him, Mr. Minister, as you already considered women, I will request you to consider minority also as correctly put by Shri Hariprasad, not Muslim, don't be afraid. Muslim or Christian, Sikh or Jain or any other minority must be there.

Sir, the second point that I would like to mention is that the Union and every State Government shall consult the Commission on major policy matters affecting socially and educationally backward classes and NCBC shall be in concurrence with the State Government for any state specific issues. My point is there must not be any unilateral decision by the Commission against the wishes of the State. The State can only identify as to who is socially backward and educationally backward.

श्री सभापति: अटावले जी, आप बैठकर आराम से बात कीजिए।

SHRI T.K. RANGARAJAN: My another point that I want to present here is that the President may in concurrence of the State Government and with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification specify socially and educationally backward classes which shall be for the purpose of the Constitution be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to the State or Union Territory as the case may be. Here, Sir, I would like to quote the recent judgement by the Allahabad High Court. There is a Notification by the University Grants Commission (UGC) in response to the Allahabad High Court Judgment of April, 2017. I would like that the Minister should take note of it. That Judgment was not only implemented but all the colleges and universities had a strong opposition to give

[Shri T.K. Rangarajan]

opportunity on recruitment to the backward classes. Whatever Bill you pass here; if it doesn't percolate and if nobody is ready to implement then what is the use of having a discussion here? We are all lawmakers. I can quote you another thing also. Mr. Chairman, Sir, please permit me to quote one more thing. The Financial Express states, "It must be noted that the present number of teachers in the SC/ST and OBC community is far below the satisfactory point. As per the data presented by The Indian Express in the report, only seven of every hundred central university teachers belonged to the afore-mentioned community, that means, SC/ST or backward."

MR. CHAIRMAN: Rangarajanji, please.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, this should not continue.

MR. CHAIRMAN: One more minute is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, this is a very important subject.

MR. CHAIRMAN: Everything is important. ...*(Interruptions)*... You are an important man. ...*(Interruptions)*... The House is also important and time is important, please.

SHRI T.K. RANGARAJAN: I request the Minister to give opportunity to the Minority. The State Government is a real stakeholder. Don't violate the State Government. That is my request.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Manoj Kumar Jha. You have three minutes but you have the capacity to articulate in less than that also.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सर, मैं छोटे दल से हूँ लेकिन there are moments in the history of the Parliament when things cannot be decided on the basis of 'Ayes' and 'Noes'. This is one such occasion. I support the Bill. But, then, I wish to flag certain important issues. First of all, let us be very clear that there are conflicting lists from the Centre and the States. Particularly, I am aware of Kamataka and Tamil Nadu. How are we going to resolve it? That is number one.

Number two, if you are at the similar Commissions, they were supposed to have Action Taken Reports (ATRs) from several Ministries. I am told that for the last ten to fifteen years, such reports have not been submitted to the Parliament. How are we going to fix it? The third important issue—a word of caution to my dear colleague, Mr. Minister Saheb and this House—we are attempting sub-categorisation. हम वर्गीकरण की

ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब तक मिलिकियत न पता हो, कितना खाता-खेसरा कहां पर पड़ा हुआ है, तब तक हम कौन-सा वर्गीकरण कर रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, जनगणना सार्वजनिक जीवन में आना आवश्यक है, पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है। किसकी कितनी भागीदारी है, कौन रिकशा चला रहा है, कौन भूमिहीन है, कौन ठेला चला रहा है, अगर हम उसके अभाव में वर्गीकरण कर रहे हैं तो, यह समतामूलक समाज और पिछड़ा समाज के साथ भी उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा कि ऐसी कई संस्थाएं हैं, बहुत सारे कमीशन्स हैं, उनके पास बहुत पॉवर है, mandate बहुत अच्छा है, लेकिन काम अच्छा क्यों नहीं होता है? समतामूलक समाज बनाना, हमारे अपने दृष्टिकोण में, हमारे वैश्विक दर्शन में भी होना चाहिए। एक कलम है, उससे लिखा भी जा सकता है, उसको किसी को चुभाया भी जा सकता है, यह हमें समझना होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में केवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और हम उसके लिए सोच नहीं रहे हैं। जैसे हमारे आगे के जितने लोग बैठे हुए हैं, डेस्क के साथ, अगर उन्हें secretarial staff के पास जाना होगा तो वह मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, मैं बहुत पीछे हूँ। हमारे समाज की भी यही स्थिति है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका जो पूरा का पूरा आधार है वह उचित नहीं है। Hon. Minister, Article 342, in particular, talks about consultation with the Governor. जो 10 वर्षों में मैंने गवर्नर के साथ राज्य प्रतिष्ठान के रिश्ते देखे हैं, उससे मुझे लगता है कि इससे कई सारी विपदाएं आ सकती हैं, अगर उसको हमने संतुलित ढंग से रखने की कोशिश नहीं की। मैं 90 के दशक में छात्र था, मैंने तब देखा था कि कौन कहां खड़ा था। मैं मंडल की धारा से आता हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं इतना आग्रह करूंगा, चाहे sub-categorization हो या कुछ हो।

'वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से,
मैं एतबार न करता तो और क्या करता।'

शुक्रिया, सर।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. It shows, if the Member intends, he can complete it in time. This is the best example. So far I have heard him three times. Every time, he was trying to confine himself to the time. Normally, Professors.... (*Interruptions*)... Now, Dr. Narendra Jadhav. You have two minutes.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to address this august House on this very important Bill. I rise to wholeheartedly support this Bill. This is a very important moment in our history as we finally attempt to grant constitutional status to the establishment of the National Commission on Backward Classes.

Mr. Chairman Sir, the Other Backward Classes (OBCs) of this country have been kept on the fringes of State policies with respect to reservations in education and employment for a very long time.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN) *in the Chair*]

[Dr. Narendra Jadhav]

In 1980, the Mandal Commission had recommended 27 per cent reservation to socially and educationally backward classes in the Central Government posts and public universities. In 1993, the Supreme Court, in the case of Indra Sawhney acknowledged the need for implementation of separate reservation for OBCs in Central Government jobs. This Constitution Amendment Bill, that is being deliberated upon today, is a definite step in the positive direction. Setting up of the National Commission on Backward Classes will ensure; first, that the rights of socially and economically backward classes are upheld; secondly, it provides a forum to inquire into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes; third, it establishes a body to evaluate issues faced by the socially and educationally backward classes and submit recommendations in the form of reports to the Union and State Governments. These reports would be instrumental in formulating more informed public policies for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes.

Having said that, Sir, I take this opportunity to make three suggestions. First is, the need to release data on the Socio-Economic Caste Census. In 2011, the Central Government had conducted a Socio-Economic Caste Census. The findings of the study have still not been released in the public domain. The Mandal Commission Report in 1980 estimated that 54 per cent of the Indian population (exclusive of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) belonged to the castes and communities that were backward. These statistics were drawn on the basis of 1931 Census data while the Socio-Economic Caste Census is based on position in 2011. The basis is fixed on the share of a set of communities in comparison to the total population. It is, therefore, imperative to know the exact percentage of Indian people belonging to the OBC community in 2018. Second suggestion is that there is an issue regarding sub-categorization of OBCs. A five member Commission under Justice Rohini was set up by the Government of India in October 2017, and that report has still not come out. I have two suggestions. Firstly, the Central Government should release the data with respect to the Socio-Economic Caste Census immediately. Once the report of the Rohini Commission is released, the Central Government should take up immediate action and draw the correct list of OBCs along with sub-categorization of OBCs in the Indian population. This would help delineating beneficiaries of welfare schemes of OBCs.

My final suggestion is that while framing the rules, care must be taken, and we must ensure that there is, at least, one member from women, and, at least, one member from an extremely backward subcategory within the OBCs for inclusion in the Commission.

Finally, I will just quote. I wish to quote the Mandal Commission Report of 1980 which commenced with the following:

"There is equality among equals. To equate unequals is to perpetuate inequality."
Thank you very much.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (एक सौ तेठसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के पास होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री थावर चन्द गहलोत जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस बिल के पास होने पर पिछड़े वर्ग के लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान होगा और इससे कमीशन को और शक्तियाँ मिलेंगी। सभी पिछड़े वर्ग का विकास हो, इसके लिए मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे अभी इस बिल के पास होने के बाद पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन होगा। इस कमीशन में पांच मेम्बर्स बनेंगे, जिनमें एक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और तीन मेम्बर्स होंगे। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो इसमें मेम्बर्स बनें, वे सभी पिछड़े वर्ग से बनें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटर में पिछड़े वर्ग की लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में बहुत जातियाँ आती हैं - निषाद आती है, कश्यप आती है, धीमान आती है, झांगड़ आती है, पाल समाज आता है, सैनी समाज आता है, बंजारा समाज आता है, इन जातियों का तभी विकास हो पायेगा, जब इन जातियों में से दो मेम्बर्स चाहे वह चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो या मेम्बर्स हो, उनको शामिल करें।

दूसरी बात यह है कि आज हमारे पास ओबीसी का कोई authentic data नहीं है। आप इस data को कहां से लेंगे, कैसे करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब 2021 में हमारी जनगणना होगी, तब आप इसके लिए प्रोविजन करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछड़े वर्ग के आंकड़े हम कहां से लेंगे और कैसे इसको करेंगे, जब आप इसके बारे में जवाब दें, तो यह जरूर बताने की कृपा करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि इस बिल के आने से एक सामाजिक और आर्थिक संरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग का भला तब तक नहीं हो पाएगा, जब तक उनको राजनैतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। मैं इस बिल के लिए तो माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और मैं चेयर के माध्यम से आपको पुरजोर अपील भी करना चाहता हूँ कि इसके बाद ओबीसी के लिए एक बिल और लेकर आएँ, जिसमें राजनैतिक आरक्षण की भी व्यवस्था हो। किसी भी वर्ग का और किसी भी जाति का असली फैसला असेम्बली में होता है या पार्लियामेंट में होता है। अगर किसी वर्ग का, ओबीसी का नुमाइंदा पार्लियामेंट में न हो, असेम्बली में न हो, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इनका भला हो सकता है! इसलिए आप अगर इनका भला चाहते हैं, तो अब इनको राजनैतिक आरक्षण भी मिलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आप इस मुद्दे पर काम करना शुरू करेंगे और जल्दी ही एक राजनीतिक आरक्षण का बिल लेकर आएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पिछड़ों की भलाई के लिए राजनीतिक आरक्षण वाला बिल लेकर जरूर आएँ। मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए अधिकृत किया है।

श्रीमन्, हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा से मानना रहा है कि जिस तरह से SC/ST वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान में किया गया है, उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी अधिकार मिलें, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, भारत के संविधान में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनैतिक आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। भारत के संविधान में किए गए इस प्रावधान का देश में बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता और मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से इन वर्गों के संरक्षण के लिए संघर्ष करती रही हैं।

महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के साथ-साथ, यह कहना चाहता हूँ कि इसे लागू करने का जो तरीका और समय है, उस पर कुछ संदेह प्रतीत होता है, क्योंकि देश के करोड़ों दलित और आदिवासियों की तरह ही मुल्क के अन्य पिछड़े वर्गों का भी राजनीति, शिक्षा, रोजगार और न्यायपालिका आदि हर क्षेत्र में और हर स्तर पर उनके हकों से वंचित रखने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के समय OBC वर्गों को भी छलना चाहती है। इसी कारण उन्हें लुभाने के लिए इस बिल को संसद में लाने का काम किया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि पिछले चार वर्ष से ज्यादा के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, NDA सरकार ने SC/ST और OBC के बच्चों, छात्रों, नौजवानों के रोजगार के लिए जो वादे करने का काम किया था, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इसलिए BJP की चाल, चरित्र व चहेरा हमेशा से ही दलित, आदिवासी व पिछड़ा विरोधी रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो मंडल कमीशन का सर्कुलर आया था, जिसके ऊपर पिछले दिनों बहस हुई थी, उसमें SC/ST और OBC की 43 Central Universities में reservation को खत्म करने की साजिश की गई थी। इसी तरीके से जब वर्ष 1990 में मंडल कमीशन लागू किया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध करते हुए, उस समय की श्री वी.पी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा विलम्ब से इस बिल को लाने के कारण सिर्फ यही है कि आने वाले लोक सभा चुनाव में या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में पिछड़े वर्गों को लुभाने और उनका लाभ उठाने के लिए किया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बड़े दुख की बात है कि इस सरकार के पिछले सवा चार साल के कार्य काल से लेकर आज तक पिछड़े वर्गों और दलितों के आरक्षण का जो backlog था, जिसे इस सरकार को पूरा करना चाहिए था, वह आज तक नहीं किया गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब उन्होंने सरकारी नौकरियों में SC/ST और OBCs के लिए backlog को भरने का काम किया था। वैसा प्रयास इस सरकार द्वारा नहीं

किया गया है। आज केन्द्र सरकार से लेकर देश के तमाम प्रदेशों में SC ST और OBC की लाखों की संख्या में नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन इस सरकार की नीयत साफ नहीं होने के कारण आज तक उन नौकरियों को भरने का काम नहीं किया गया है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि साफ नीयत के साथ इस बिल के प्रावधानों को लागू करने का काम किया जाए तथा SC/ST और OBC की नौकरियों के backlog को पूरा करने का काम किया जाए, धन्यवाद।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछली बार भी इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही थी, बस हम उसमें कुछ संशोधन चाह रहे थे। उस संशोधन के साथ यह बिल माननीय मंत्री जी लाए हैं, इसलिए मैं उनका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि यह बिल अक्षरशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही है। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से विधान सभा और लोक सभा में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलता है, ठीक उसी तरह ओबीसी को भी विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में आरक्षण मिले।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ कि ओबीसी से क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए। माननीय महोदय, यह तो ठीक वैसा ही हो गया कि अगर मेरे पास चना है, तो खान के लिए दांत नहीं है, और दांत हैं तो चना नहीं है। अगर आप क्रीमी लेयर को ओबीसी category में लाए हैं, तो यह ठीक वैसा ही हो रहा है। क्रीमी लेयर को ओबीसी category से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। नई जनगणना 2011 के जो जाति आधारित आंकड़े हैं, आप उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सामने क्यों नहीं रखते हैं? सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार नई जनगणना को लागू क्यों नहीं कर रही है? ऐसा करके सरकार अपने कर्तव्यों से बचना चाह रही है। आप नई जनगणना लागू कीजिए।

सर, इतनी सारी जातियां हैं और आपने उन सभी जातियों को ओबीसी category में डाल दिया है। बिना आरक्षण के भी जनरल category को ओबीसी category से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे समाज को ओबीसी category में डाल दिया है। अगर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, तो बेमानी होगी।

सर, आरक्षण की परिभाषा क्या है, आप मुझे इसको समझा दीजिए। आपने सभी नौकरियों के ठेके पर दे रखी हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ। तृतीय वर्ग कर्मचारी के 54 विभागों में 1 लाख, 80 हजार कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं, जहां आरक्षण लागू नहीं होता है। जब सब ठेके पर चल रहा है तो फिर आरक्षण कहां हुआ? ओबीसी को आरक्षण कहां मिला? आपने सभी चीजें ठेके पर दे रखी हैं। आप जब सब संविदा के आधार पर कर रहे हैं, फिर तो वहां आरक्षण का नियम कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में 52 प्रतिशत ओबीसी जनसंख्या के हिसाब से 27 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए लेकिन वहां 12 प्रतिशत आरक्षण है। यहां भी आरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है।

सर, मैं कहना चाहूंगी कि जब हम नौकरी के लिए कोई आवेदन form जमा करते हैं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे कम पैसे में form खरीदकर जमा करते हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों को 400 रुपये/500 रुपए में, कम से कम 500 रुपए में form खरीदकर आवेदन-पत्र

[श्रीमती छाया वर्मा]

लगाना पड़ता है और नौकरियां भी सालों साल बाद मिलती हैं। रेलवे विभाग में तो भर्ती होते-होते तीन साल, चार साल तक हो जाते हैं और कई बार तो नौकरियां रद्द भी हो जाती हैं। रेलवे विभाग में या दूसरे विभाग में करोड़ों रुपये जमा रहते हैं, पर ओबीसी category के बच्चों का आवेदन form भरने में बहुत पैसा लगता है। उन्हें भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की तरह इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। यदि वे निःशुल्क या मिनिमम पैसों में नौकरी के लिए form खरीदेंगे तो ज्यादा उचित होगा।

सर, डीओपीटी के ऑर्डर में एक वेकेंसी निकली थी, जिसमें हजारों ओबीसी लोगों को नौकरियां मिली थीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने 6.10.2017 को दूसरा ऑर्डर निकाल दिया और उस ऑर्डर में सभी ओबीसी कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में बताकर नौकरियों से निकाल दिया। यह बात तो बहुत ही बेमानी हुई, क्योंकि आपने जो नौकरी खत्म की, वह पब्लिक सेक्टर की थी और जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, वे एग्जीक्यूटिव में नहीं आते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आपने उस ऑर्डर का भी उल्लंघन किया है।

सर, एग्रीकल्चर को क्रीमी लेयर से बाहर रखना है। जैसे कि एक कहावत है, "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी", मैं चाहती हूँ कि इस बात का अक्षरशः पालन हो। जिस समाज की जितनी संख्या है, उस समाज की उतनी ही नौकरी में भी, विधान सभा, राज्य सभा और लोक सभा में भी भागीदारी होनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजरथान): सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के लिए पुनः एक अवसर उपस्थित हुआ है और यह अवसर इस बात का है कि लंबे समय से भारत का संविधान लागू होने के बाद जो समाज अपने न्याय की प्रतीक्षा में था, आजादी के सत्तर साल बाद भी देश की प्रगति के अवसर में जिन्हें अवसरों की उपलब्धता चाहिए थी, उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज दूसरी बार राज्य सभा में ओबीसी समाज के संवैधानिक आयोग का बिल प्रस्तुत हुआ है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस देश में आजादी के बाद सामाजिक न्याय की जो यात्रा प्रारम्भ हुई, इस बिल पर कुछ कहने के पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सामाजिक न्याय की यात्रा में काफी संघर्ष हुआ। किसी ने कहा है,

"लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर,
लाखों बार कश्तियां झूबी, चहल-पहल वही है तट पर,
तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालो,
लाख पतझड़ करे कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है,
चंद खिलौनों के टूटने से, जीवन नहीं मरा करता है।"

इसको जीवन देने का काम हमारे देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। यह एक बहुत बड़ा काम था। हरि प्रसाद जी कह रहे थे, शायद वे हम पर आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन हरि प्रसाद जी, आज जिस प्रकार से लोक सभा में इस बिल का समर्थन किया गया है, उसी प्रकार से राज्य सभा में भी इस बिल का समर्थन हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें तथ्य होती हैं। मैं आपकी ही सरकार के बारे में कहूँगा, अभी मैं केवल 2013 तक ही जाऊँगा। आपकी यूपीए की सरकार 10 साल रही। आपने अपने भाषण में श्री हांडिक, जो आपके समय में Parliamentary Standing Committee on

Backward Classes के चेयरमैन रहे, उनका जिक्र किया। मैं उनकी Standing Committee की रिपोर्ट के अंश को पढ़ना चाहूंगा। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2013-14 की रिपोर्ट quote कर रहा हूँ। समिति ने यह भी टिप्पणी की थी कि संविधान के अनुच्छेद 338(10) के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के सुरक्षा उपाय से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच और निगरानी के साथ ही पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचन और सुरक्षा उपाय की जांच करने का कार्य कर रहा है। समिति ने यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त किया कि 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के दो दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपाय से संबंधित मुद्दों की जांच करने की शक्ति अभी भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास है। समिति ने यह भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के मामलों के भार से दबा होने के कारण अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कृत्य का निष्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाया है। समिति ने सिफारिश की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुच्छेद 338(10) का विलोपन करने के लिए संविधान का संशोधन करने हेतु पहल करे। आपकी सरकार के समय में समिति ने कहा कि आप पहल करें, ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की देखरेख पूरी तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग द्वारा की जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने समिति के प्रथम प्रतिवेदन के ऊपर आपके समय में 4 दिसम्बर, 2012 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे। अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि सरकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित नागरिकों की शिकायतें सुनने की शक्तियां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में निहित करने के प्रस्ताव की भी जांच कर रही है। समिति ने प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणी और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सम्बन्धी अपने दूसरे प्रतिवेदनों में अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों की अन्तिम कार्यवाही का विवरण 2013 में प्रस्तुत किया था। समिति इस सम्बन्ध में अत्यंत दुखी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आपकी यूपीए सरकार के लिए लिखा गया और आपकी समिति ने लिखा। समिति इस संबंध में अत्यंत दुखी थी और उसने इसके बारे में मंत्रालय के प्रतिनिधियों का 26 जुलाई, 2013 को आगे और साक्ष्य लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया कि इस बारे में प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणी को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। समिति के द्वारा उठाए गए मुद्दों की तरफ सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई किए जाने में विलंब के बारे में उसने अप्रसन्नता व्यक्त की। समिति एक बार पुनः पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन करने हेतु अविलम्ब उपयुक्त कदम उठाए, जैसे समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में सिफारिश की थी। जब यूपीए की पहली सरकार आई थी, तो उसने कहा कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए। दस साल तक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आपकी सरकार को कहती रही, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के लिए कुछ नहीं किया। यह यात्रा ऐसे शुरू नहीं हुई। 26 जनवरी, 1950 को हमने देश के संविधान को स्वीकार किया और जब हमने देश के संविधान को स्वीकार किया, उस समय हम तीनों आर्टिकल, आर्टिकल 340 आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 लेकर आए। 1953 में अपने काका कालेलकर कमिशन बनाया, लेकिन काका कालेलकर कमिशन की रिपोर्ट्स को आपने स्वीकार नहीं किया। पिछड़ा वर्ग अपने सामाजिक विषयों को, अपने सामाजिक

[श्री भूपेन्द्र यादव]

मुद्दों को उठाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। 1953 के बाद आर्टिकल 15 में आप पहला संविधान संशोधन तो लाए, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए आपने कुछ नहीं किया। यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस को केन्द्र से जाने का अवसर मिला, जिससे पिछड़ा वर्ग का भाग्य उदय हुआ। जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। उसके बाद जब फिर से आप सत्ता में आए, तब भी नौ साल तक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर से इस देश के भाग्य के साथ पिछड़ा वर्ग का भाग्योदय लिखा था, इसलिए कांग्रेस का जाना हुआ और केन्द्र में श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हुआ एवं देश में पिछड़ा वर्ग को लेकर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। ...**(व्यवधान)**... आप मुझे टोकिए मत। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**... जयराम रमेश जी, मैं इस संबंध में आपके माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी के लोक सभा में दिए गए जो कथन हैं, उनको यहां क्वोट करके डिबेट को लम्बा नहीं करना चाहता हूं। आप स्वयं जाइए और देखिए कि उस समय श्री राजीव गांधी जी ने क्या भाषण दिए थे। एक बार आप उसका अध्ययन करिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का आपने समर्थन किया था या विरोध किया था। यह तो पिछड़े वर्ग का सौभाग्य था कि जब दोबारा कांग्रेस गई, तब उनको न्याय मिला।

महोदय, इसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात हुई, तो 1993 में इंदिरा साहनी का जजमेंट आया और जजमेंट में न्यायालय ने इसके लिए कहा। तब तक आपने इसको नहीं किया था। 1991 में, श्री नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में, बैकवर्ड क्लास कमिशन पर आए एक और बिल लेकर आए, लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए आपने प्रयास किया कि इसको किस तरीके से रोका जाए। आज फिर मैं आपसे यह आह्वान कर रहा हूं कि समाज का इतना बड़ा वर्ग, जो कहीं ने कहीं, किसी न किसी कारण से सामाजिक न्याय से वंचित रहा, उसको समर्थन दीजिए। जो लम्बे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस वर्ग के लिए एक संवैधानिक आयोग बने, इसके लिए आगे आकर समर्थन करिए।

इसके बाद देश में पिछड़ा वर्ग के सभी सांसद इसके लिए कहते रहे। जब इस वर्ग के लिए आर्टिकल 340 में, काका कालेलकर कमिशन बना, काका कालेलकर कमिशन के बाद मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक माना, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप बैकवर्ड क्लास कमिशन बनाइए, तो बैकवर्ड क्लास कमिशन बना ...**(व्यवधान)**... हरिप्रसाद जी, मैं आर्टिकल 340 का जवाब भी दे दूंगा। बैकवर्ड क्लास कमिशन बनाने के बाद आपने बैकवर्ड क्लास ऐक्ट बना दिया, अच्छा किया, लेकिन ऐक्ट बनने के बाद लगातार यह कहते रहे कि ससद के अंतर्गत बैकवर्ड क्लास की पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वह कमेटी भी बनी, लेकिन दस साल तक वह कमेटी यह कहती रही कि जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं के समाधान के लिए 338(ए) और शेड्यूल्ड कास्ट्स की समस्याओं के समाधान के लिए 338(बी) है, वैसे ही आप उनकी समस्याओं के लिए वं न्यायिक विषयों के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन करिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की लगातार यह रिपोर्ट आई, पर आपने उनकी रिपोर्ट को नहीं माना।

आज उस काम को करने का संकल्प हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और इस सरकार ने किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वे बधाई के पात्र इसलिए भी हैं, क्योंकि पिछली बार जब यह बिल आया था, तो इस बिल में यह कहा गया था कि इसमें माइनोंरिटी का मेम्बर होना चाहिए। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास पर विश्वास करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ में धर्म की राजनीति मत करिए। ओबीसी एक religion neutral term है, उसको religion neutral ही रहने दीजिए। आप अपनी धार्मिक और माइनोंरिटी की राजनीति मत करिए। अगर किसी माइनोंरिटी के संबंध में कुछ सोचा जाता है, तो देश में उसके लिए माइनोंरिटी कमीशन है। मुस्लिम समाज के लोग भी ओबीसी में हैं, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो बिल गिरा था, उसने यह तय किया था कि एक बार वोट बैंक की पोलिटिक्स ने सोशल जस्टिस की पोलिटिक्स का हराया और उसके कारण यह बिल राज्य सभा में गिरा था। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वोट बैंक की पोलिटिक्स में सोशल जस्टिस का जो रास्ता है, सोशल जस्टिस के रास्ते पर जो मशाल लेकर आगे बढ़े हैं, उस मशाल को आप आगे लेकर चलते का काम करिए। यह सोशल जस्टिस क्यों जरूरी है? इसके पीछे पोलिटिल फिलॉसफी क्या है? हम गर्व के साथ यह कहते हैं कि हमारी पार्टी जिन मूल्यों पर खड़ी है, हम लोग भारत के सांस्कृतिक विरासत के मूल्यों पर खड़े हैं।

महोदय, इस देश की आध्यात्मिकता और इस देश के कुल मिलाकर जागरण का काम जिन महापुरुषों ने किया है, उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी का क्वोट मैं पढ़ना चाहता हूँ। जाति, संस्कृति और समाजवाद पर स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई है। जब हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कदम क्या उठाना पड़ेगा? उन्होंने कहा, "जाति स्वभाव पर आधारित एक सस्था है। मैं सामाजिक जीवन में एक काम कर सकता हूँ, तो तुम दूसरा। तुम एक देश पर शासन कर सकते हो, मैं पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ। परन्तु यह कारण नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो, क्योंकि तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो और क्या देश का शासन मैं कर सकता हूँ?" इससे आगे वे कहते हैं, "इसका अर्थ नहीं, साथ ही विशेषाधिकार— विशेषाधिकार को नष्ट करना चाहिए। अपने को विभिन्न समूहों में विभक्त करना तो समाज का स्वभाव है, परन्तु हम जिन्हें नष्ट करना चाहते हैं, वे हैं - विशेषाधिकार और किसी के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं रहे, सबको एक समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को यही सिखाओ कि मैं प्रत्येक विशेषाधिकार को और हम स्थित उस भावना को, जो हमारे अधिकारों को हथियाने के लिए उकसाती हो, कुचलकर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए, जिसमें समस्त मानव जाति के प्रति एकता का भाव उत्पन्न हो।" परन्तु जब हम समाज में विषमता है, जब तक समाज में विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, उनका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, जब तक उन्हें अवसरों की उपलब्धता नहीं है और गर उनको अवसरों की उपलब्धता हुई है, लेकिन उनके अवसरों को जानने के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, कोई quasi judicial forum नहीं है, कांस्टीट्यूशन के द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा कोई न्यायिक आयोग नहीं है, उसको देने का काम हमारा था। 70 साल में उसको करने में हम कामयाब नहीं हुए, अगर 70 साल बात आज हम उसको देने जा रहे हैं, तो उसको देना हमारा ही नहीं, यहां बैठे हुए सब लोगों का और सब पार्टीज का धर्म है और इसको पूरा करने का काम हमने किया।

[श्री भूपेन्द्र यादव]

आप बार-बार भाषण में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को कह रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारी पैरेंटल संस्था से लेकर कहीं भी कहना चाहते हैं -- हमने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रस्ताव एक जगह पब्लिश किये हैं। कोई एक विषय ऐसा बताइए, जिसमें हमारी पार्टी सामाजिक समता और समतामूलक समाज के लिए आगे नहीं बढ़ी हो। हमारी पार्टी में जब कोई व्यक्ति आता है और आने के बाद पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, तो उसको पांच निष्ठाएं दी जाती हैं। उसको कहा जाता है कि वह पार्टी की पोलिटिकल फिलॉसफी माने, आप इन पांच विषयों को मानिए। उसमें अगर कोई विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी में समतामूलक समाज की स्थापना towards egalitarian society, यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश के प्रधान मंत्री जी कार्य कर रहे हैं। यह हमारे ही संकल्प की भावना है कि एक बार यह बिल राज्य सभा में गिरने के बाद, हम पुनः यह आह्वान करने वापस आये हैं कि समाज में विशेषाधिकारों के कारण जो एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका वंचित था, आप एक बार फिर से आगे बढ़िए। 70 सालों में न्याय देने में अगर कहीं रास्ते में आपके द्वारा रोड़े अटके हैं, तो एक बार उस भूल को माफ करिए, आइए और सामाजिक न्याय तथा समता के नाम पर पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय का यह जो एक आयोग मिल रहा है, इसको देने का काम करिए।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में, पिछड़े वर्गों का यह जो आयोग लेकर आये हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी भूमिका को जानना आवश्यक है। आजादी के 70 साल बाद भी, मंडल आयोग की अनुशंसाओं के बाद भी — मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने का एक माहौल बना। लेकिन मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी, आज देश के कई राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं है। जब हम एक संवैधानिक आयोग देंगे तो उस संवैधानिक आयोग में ताकत होगी और वह पता लगा पाएगा कि 27 प्रतिशत आरक्षण न देने के क्या कारण हैं?

दूसरे मैं UPA से कहना चाहूंगा, मैं आपको परेशान करने के लिए कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस बात को आप कैसे भुला सकते हैं कि आपके समय में जब कुछ जातियों को जोड़ने के लिए आपने अधिनियम को बदलने का फैसला लिया, उस समय की Parliamentary Standing Committee के लगभग सभी सदस्यों ने बार-बार कहा, लेकिन उनके कहने के बावजूद, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी कानून आप क्यों नहीं लेकर आए? यह सच है कि Scheduled Caste Commission, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्होंने स्वयं कहा कि हमारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और OBC समाज में कई जगहों पर, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उस क्षेत्र के अंतर्गत कई समाजों की सामाजिक स्थिति आज Scheduled Caste जैसी नहीं है। सभी OBCs जातियां आज सम्पन्न नहीं हैं। देश में 10 हजार जातियां राज्यों में हैं और 5 हजार जातियां केन्द्रीय स्तर पर हैं। उनमें से 100-125 या 150 जातियां सम्पन्न हुई होंगी। अगर 4800 जातियां आज भी देश में ऐसी हैं, वर्तमान स्थिति में उन्हें न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक आयोग की आवश्यकता थी। हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, वक्त गुजर गया, आपने काका कालेलकर कमीशन को टंडे बस्ते में डाला, कोई बात नहीं, आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट को टाइम पर लागू नहीं होने दिया, कोई बात

नहीं, लेकिन आज समाज में अगर तेज़ी से परिवर्तन का दौर आया है, अगर OBC समाज जागा है, तो उन्हें संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए इस आयोग को देने का काम होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इसमें वोट बैंक की politics नहीं करनी चाहिए। वोट बैंक बनता है, बिगड़ता है, लेकिन देश में हजारों सालों से जो समाज न्याय के लिए इंतजार कर रहा है, उस समाज को न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों ने क्या किया? मुझे लगता है कि इन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण देना, मानो कोई खिलौना आपके लिए बन गया हो। आपने कहा कि हम धर्म के आधार पर जो आरक्षण देंगे, 3 प्रतिशत आरक्षण इसमें से काटकर देंगे। हम किन्नर समाज को आरक्षण देंगे, 3 प्रतिशत इसमें से काटकर दे देंगे। इस 27 प्रतिशत आरक्षण में से जिसे चाहेंगे, काटकर दे देंगे। उन्हें देने के लिए जो एक रास्ता उपलब्ध है, उसे देने का काम नहीं करेंगे। मुझे आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके समय में क्या हुआ? आपने जामिया मिलिया सहित अनेक यूनिवर्सिटीज़ को, जो Central Universities हैं, अपनी राजनीति में आकर उन्हें तोड़कर, Minority Institution केवल इसलिए देने का काम किया ताकि OBC समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण न मिल जाए। यह समाज आगे न बढ़ जाए। इस समाज को Article 340 रहने के बावजूद आपने 40 साल तक आगे नहीं बढ़ने दिया, आपने हमेशा कोशिश की कि यह समाज किसी तरीके से आगे न बढ़ जाए। हरिप्रसाद जी जैसे तो आप धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी में कोई OBC से बड़ा नेता हो नहीं पाया। ...**(व्यवधान)**... OBC समाज से जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने तो उनका आपने क्या हाल किया था, वह पूरे देश को पता है। इतिहास की किताबों को उठाकर देखना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: आपको पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**... हमारे यहां देवराज अर्स हुए हैं, आन्ध्र प्रदेश से हुए हैं, जो OBC समाज से थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: जब आप कह रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: इसी समाज से श्री के. कामराज थे। ...**(व्यवधान)**... केरल से भी हमारे नेता थे। ...**(व्यवधान)**... कितने नाम आपको मैं बता सकता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: नीचे नारे लगाकर एक परिवार का शासन बनाने के लिए थे, नेता बनने के लिए नहीं थे। ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी न धर्म के आधार पर चलती है, ...**(व्यवधान)**...

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): This is most objectionable.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Let him conclude.
...**(Interruptions)**... Let him conclude.

श्री भूपेन्द्र यादव: हमारी पार्टी न जाति के आधार पर चलती है ...**(व्यवधान)**... लेकिन हमारी पार्टी ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: चाहे धर्म की राजनीति हो, जातिगत राजनीति हो, ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, he said that they were only making noises, that they didn't do anything. Actually, the first Amendment to the Constitution was brought because of Chennai, because of Tamil Nadu and because of Shri Kamaraj. Shri Kamaraj came to Delhi and got it passed. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Yes, yes. You are right.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Champakam Dorairajan versus State of Madras; you see that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): You are right. Please sit down. Now, you can continue, Mr. Bhupender Yadav.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, मेरे जो दक्षिण भारतीय मित्र हैं और हमारी पार्टी के सहयोगी हैं...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): He is mentioning a good part of the history.

SHRI BHUPENDER YADAV: He is a very learned man, लेकिन वास्तविकता यह थी कि जो पहला अमेंडमेंट आया, वह मद्रास स्टेट का Champakaran vs State of Madras का जो केस था, उसके बाद वह पहला अमेंडमेंट आया। जब आर्टिकल 15 में पहला अमेंडमेंट आया, तब यही कहा गया कि चूंकि 340 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, इसलिए आर्टिकल 15 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के कारण किया गया। ...(**समय की घंटी**)... सर, मेरी पार्टी का समय है, मैं पांच मिनट और लूंगा।

सर, जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, उस समय आरक्षण का जो विषय लिया गया, मेरा यही कहना है कि जो विषय, even तमिलनाडु से भी उस समय बढ़ाया गया, 70 साल तक उसको पूरा करने का काम केन्द्र में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि देर आए, दुरुस्त आए। इसके साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद 'सबका साथ, सबका विकास', का जो संकल्प लिया, उसी का नतीजा है कि जब यह सरकार आई, उसके बाद सभी दलों के पिछड़े वर्ग के सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने अपने मन की बात कही कि हांडिक कमेटी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी, पिछले दस साल से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट दे रही है, आपके आन्ध्र प्रदेश के भी एक सांसद होते थे, ओबीसी के मंच का काम किया करते थे, वे सब लोग इकट्ठा होकर, सारे सांसद इकट्ठा होकर माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गए और उन्होंने कहा कि लंबे समय से समाज के लिए एक लंबित मांग है और यह न्याय का तकाजा है कि इसको पूरा होना चाहिए। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ओबीसी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए जो यह संवैधानिक आयोग बनाने का फैसला किया है, यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। यह फैसला लेते समय बहुत सारे राजनीतिक दल हमारी पार्टी के लिए विषय कह रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी पार्टी की जो political philosophy है, वह अंत्योदय की है। हमारी पार्टी का दर्शन, जिसको पं.

दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा, तो उन्होंने दर्शन में यही कहा कि हमारा दर्शन का अर्थ है अंत्योदय का काम करना, राजनीति में मूल्य आधारित राजनीति को खड़ा करना, लोगों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर खड़ा करना और फिर समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सही न्याय का रास्ता तथा सही अधिकार का रास्ता उपलब्ध कराना, इसलिए सरकार में आने के बाद इन चार सालों में चाहे हमने लोगों के economical inclusion के लिए काम किये हों, चाहे हमने लोगों को पारदर्शी तरीके से शासन देने का काम किया हो, चाहे हम लोग सामाजिक न्याय के लिए नए कानूनों को लेकर आए।
...(समय की घंटी)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): You have another speaker.
You have another speaker.

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, यह कानून हमारी पार्टी के समतामूलक समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले चार साल में लगातार काम करते हुए समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। इसके साथ ही मैं यह मानता हूँ कि एक लंबे समय जो गलतियाँ, कभी न कभी, किसी न किसी से हुई होंगी, आज यह समय किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, बल्कि केवल तथ्यों को रख करके सही बातों को समझने का विषय है और सही बात यह है कि आज हिन्दुस्तान की आबादी का बहुमत का जो समाज है, उसको हम यह न्यायालय एक संवैधानिक आयोग के माध्यम से देंगे और उसके लिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए यह जो संवैधानिक आयोग देने का काम है, इसको पूरा करेंगे। ...(समय की घंटी)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. Please conclude.

श्री भूपेन्द्र यादव: सब लोग अपने-अपने राजनीतिक विचारों को लेकर चलते हुए ओबीसी समाज के न्याय के लिए इस बिल का समर्थन करें, यही अपेक्षा करते हुए सबके समर्थन की कामना करते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. Shrimati Vijila Sathyananth. ...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Yes.

SHRI B.K. HARIPRASAD: The hon. Member said, 'हम लोगों ने इस बिल को गिरा दिया था', जब कि सच तो यह है कि हम लोगों ने बिल को गिराया नहीं था, बल्कि वह defective Bill था, इसलिए हम लोगों ने उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा था। I want to rectify him.
...(Interruptions)...

4.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Shrimati Vijila Sathyananth.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

Actually, I would be making points which have not been touched upon by many of my colleagues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): But within four minutes.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Yes, Sir.

As our Prime Minister, is himself an OBC, it is the right time that we gave Constitutional status to the NCBC. So far, the Government has not initiated, since 1931, collection of the latest caste census of BCs and OBCs in independent India. Of course, it was done in 2011, but we need the exact data on people belonging to this category. The Government has not given it clearly. So, the exact data on OBCs needs to be made known to the people of India. Now, it is likely that the OBCs constitute more than 52 per cent of the country's total population, but they are being ignored in all respects, in reservation and representation, and they are still backward, socially, economically, politically and educationally.

Now, I am also a Member of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, and for a long time now we have been fighting for the abolition of the creamy layer. That is just 27 per cent of the OBCs were considered for reservation against the total strength of 52 per cent across the country. So, the difference is 25 per cent, who constitute the creamy layer among the OBCs. Now, that is not the case. The strength of the creamy layer is merely one to two per cent. But the reservation should be increased. We have not yet properly implemented the 27 per cent reservation which has been mandated by the Commission's Report after its execution.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

It is now requested — and we are also fighting for it — that a separate Ministry to take care of the welfare of the OBCs must be put in place. A separate Ministry for this purpose must be introduced to ensure that they engage people in the new Ministry from the OBC category only. This would help improve the living standards of the OBC community. The SC/ STs, OBCs and Unreserved are the three main sections of the Indian society. Now, the SCs and STs have already been given proportional representation

according to their population for all positions, from the village level to the national level, to all Commissions, Committees, educational institutions, to the boards and everywhere else, but we have not meted out justice to the OBCs. The entire OBC community constitutes a substantial strength of 52 per cent, but we have not been given reservation in all the sectors. This is true of reservation politically also. Secondly, the presence of OBC category employees is almost negligible at the higher ranks. The main reason for that is not having representation or reservation for OBC category candidates at the time of promotion, especially candidates who are appointed at Class A and Class B levels. In all the public sector undertakings, Class A and Class B levels are reached only through promotions, but nowhere OBCs are found. OBCs should also be considered like SCs and STs and should be given reservation in promotions. Along with that, our Bill supporting this cause needs to be passed. This would fulfil the real aim of the people belonging to the OBC community. ...(*Time-bell rings*)... Sir, I am concluding.

Hon. *Puratchi Thalaivi Amma*, during her golden rule, fought many social and legal battles to implement 69 per cent reservation policy in Tamil Nadu. While insisting on 50 per cent reservation in the *Indira Sawhney* case of Supreme Court, it has given some lenience to the States to meet extraordinary circumstances. Tamil Nadu had a peculiar situation with 87 per cent Backward Classes. The Tamil Nadu Government enacted the 69 per cent reservation law, taking into consideration the peculiar situation in the State. It is because of that only that *Amma* was called the saviour and restorer of social justice. The Tamil Nadu Government enacted a legislation namely the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill, 1993, and forwarded it to the Government of India for consideration of the President of India in terms of Article 31(c) of the Constitution.) Accordingly, the President gave his assent to the Bill on 19th July, 1994. The Government of Tamil Nadu accordingly notified it as Act No.45 of 1994 on 19th July, 1994. Tamil Nadu Government, all because of *Amma*, requested the Government of India on 22nd July, 1994 that the aforementioned Tamil Nadu Act No.45 of 1994 be included in the Ninth Schedule of the Constitution of India. The Government of India has already supported the provision of the State legislation by giving the Presidential assent to the Bill and included it in the Ninth Schedule of the Constitution. Before I conclude, I wish to suggest some more views to which, I believe, most of the Members in this august House will agree. The National Commission for Backward Classes shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other members. In appointing the Chairperson and other members to the NCBC, region-wise representation should be given. Southern region should have a representation. At least, one member of the Commission should

[Shrimati Vijila Sathyananth]

be a woman and one from a minority community. Any process of formation of the Commission should be done only after proper consultation with the States on the basis of prior recommendations of the State Government. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, I am concluding with a very vital point. The process of its formation should be in consultation with the State Governments. Thank you.

श्री राम चन्द्र प्रसाद निषाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ऐतिहासिक बिल है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ओबीसी की जो सबसे पहली स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता हांडिक साहब कर रहे थे और उसमें मैं एक सदस्य था। उस कमेटी की पहली मीटिंग में ही यह निर्णय लिया गया था, प्रस्ताव पास हुआ था कि ओबीसी का जो आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत वर्ष लग गए और आज देखिए, 25 वर्षों के बाद कम से कम यह धरातल पर उतरने जा रहा है।

महोदय, जब ओबीसी की बात आती है, तो सबसे पहले मैं अपने बिहार के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जहां हमारे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब सन् 1978 में पहली बार ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया, उसमें उन्होंने शुरू में ही ओबीसी में categorization कर दिया। बिहार में आज पिछड़ा वर्ग आयोग है और हमारे नेता, नीतीश बाबू जब मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। मैं सरकार से चाहूंगा कि अभी जब हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग बना रहे हैं, इसको संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़े वर्ग में भी पीछे हैं, उनके लिए आने वाले समय में एक आयोग बनाया जाए और उनको भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आखिर, हमारा भी लोकतंत्र है। हम लोग बचपन से ही लोकतंत्र के बारे में पढ़ते थे कि 'Government of the people, by the people, for the people'. 'Of the people' यानी सबको वोट देने का अधिकार है, 'for the people' यानी आप सबके लिए काम करते हैं, लेकिन 'by the people' में जो 'by' था, उसमें पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा था, इसलिए मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी कमेटी बनी हुई है, इसलिए मैं यह अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए भी जल्दी से जल्दी आयोग को गठन किया जाए और उनको केन्द्रीय सेवाओं तथा अन्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाए, जैसा कि बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले के तहत दिया जा रहा है।

मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। खासकर, इस बात की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह पूरा का पूरा मामला माइंडसेट का है। यह माइंडसेट का मामला है। आप पूरे के पूरे यूपीएससी को देख लीजिए। हममें से कई लोग यहां सिविल सर्वेंट्स हैं। आप इंटरव्यू में नम्बर उठाकर देख लीजिए। मैंने चार बार सवाल पूछे थे, 60 नम्बर से 260 नम्बर, आप देख लीजिए कि आधे घंटे में कोई क्या इंटरव्यू लेता होगा? उसके अंदर वह ऐसी क्या चीज़ देख लेता है? लेकिन निश्चित रूप से वहां पर

जो इंटरव्यू लेते हैं, वे भी किसी न किसी समाज से आते हैं। उनके मन में इस तरह की कोई न कोई बात होती है और इसका रिज़ल्ट सामने देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि इस समाज के जो बच्चे कम्पीट करते हैं, उनके बहुत तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं अभी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं हर साल यह एकजामिन करता हूँ कि इंटरव्यू में कैसे नम्बर दिए जा रहे हैं। मुझे यह प्रसन्नता हुई कि इस बार का जो फाइनल रिज़ल्ट निकला है, अगर आप उठाकर देखें, तो पाएंगे कि चाहे माइनोंरिटी के बच्चे हों, दलित समाज के बच्चे हों या बैकवर्ड बच्चे हों, सबको अच्छे नम्बर मिले हैं। मुझे एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा था, कहा गया कि इसको minority में सम्मिलित किया जाए। हरिप्रसाद जी, मैं आपको बता दूँ कि बिहार में मुस्लिम समाज की सिर्फ 4 जातियाँ पिछड़े वर्ग में नहीं हैं, बाकी सभी पिछड़े वर्ग में हैं और उसमें ज्यादातर अति पिछड़े वर्ग में हैं। इसमें धर्म को लाने की बात नहीं है, यह सोच की बात है और यह करना चाहिए। जब आप इसको पूरा करेंगे तो आपका लोकतंत्र मज़बूत होगा, चूँकि इसमें लोगों की भागीदारी बनेगी। हम सभी यह चाहेंगे कि इस बिल को पारित करिए ही और आगे आने वाले समय में अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए भी अलग से बिल लाइए। इससे पूरा का पूरा समाज, जो अब तक उपेक्षित रहा है, उनकी भागीदारी राजनीति में भी हो और सरकारी नौकरियों में भी हो। धन्यवाद।

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Thank you, Sir. This is a very important Bill. इस देश के लगभग 40 परसेंट लोगों से संबंधित यह बिल है, लेकिन मेरा सवाल है। इस बिल पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। पहले बिल गिर था, अब खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या समाज खड़ा हो पाएगा? इतने सारे कमीशन काका साहेब कालेलकर, मंडल आयोग, इंदिरा साहनी, हमने सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। सामने वाले दोस्तों ने चर्चा की है और हम लोगों ने की है। आप महाराष्ट्र की बात देखिए, महाराष्ट्र में मराठा समाज, जो 37 परसेंट है, बड़ा समाज है, जो पिछड़ा नहीं था, सघन था, किसान था, कोऑपरेटिव सेक्टर में उसका बड़ा योगदान रहा है, वह समाज आज लगभग एक महीने से आरक्षण के लिए सड़क पर उतरा है। आज हम किसी कमीशन की चर्चा करते हैं, चाहे वह ओबीसी हो या बीसी हो, बात जाति से शुरू होती है और आरक्षण पर खत्म होती है, उनके आगे-पीछे कोई नहीं है। बालासाहेब ठाकरे जी ने कहा है, जैसे अभी छत्रपति सभाजी नहीं हैं, वे शिवाजी महाराज के वंशज हैं। संभाजी राजे ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, एक स्वराज्य बनाया, वह राज्य सभी धर्मों का था, सभी जातियों का था और किसी जाति को ताकत देने के लिए उसने कभी ओबीसी कमीशन नहीं बनाया या कोई बैकवर्ड कमीशन नहीं बनाया। उनके सेनापति तोपखाने के प्रमुख थे, जो मुसलमान थे। उनकी कैबिनेट में बैठे लोगों में कोई धनगर था, कोई आदिवासी था और कोई दलित था। उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख आदिवासी थे ...**(व्यवधान)**...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: वे बंजारा था।

श्री संजय राउत: वे बंजारा थे, आदिवासी थे। यह राजा के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी प्रजा व अपने देश को किस दिशा में हमको आगे ले जाना है। अगर हम 50-60 साल की बात करते हैं, तो हम अब गलती सुधारने जा रहे हैं, यह ठीक है। जैसे हमारे राम गोपाल यादव जी बोल रहे थे कि न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए। जब तक आरक्षण की बात खत्म नहीं होती, तब तक देश आगे नहीं जाएगा। बालासाहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा है कि इस देश में दो ही जातियाँ हैं, जिसमें एक अमीर है

[श्री संजय राउत]

और एक गरीब है, उसके आगे कोई जाति नहीं है। अगर अमीर और गरीब में जो भेद है, उसको हमारी सरकारें 60-70 साल से खत्म नहीं कर पा रही हैं तो और 10 आयोग आ जाएंगे, 10 कमीशन बनेंगे, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलेगा।

तीसरी बात यह कि ओबीसी, आप देखिए कि पहले लोग अपने आपको पिछड़ा मानने से कतराते थे, लेकिन आज राजनीति में एक बहुत बड़ी कतार है, लोग जिस तरह से राजनीति में, नौकरी के लिए और रोजगार के लिए जाति के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना लेते हैं, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, इस सदन में कहूंगा और सदन के बाहर भी कहता हूँ कि हम सबको मिलकर जाति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। इस देश में जो लोग हैं, जो ऊपर वाली जाति के लोग हैं, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण की मदद चाहिए। हमें उनको मदद देनी चाहिए। मराठा समाज जिस तरह से महाराष्ट्र में है या देश में और भी जाति के लोग हैं। हम देखते हैं कि आज महाराष्ट्र में कितना नुकसान हुआ है? आप आज भी किसी जिले में जाएं, वहां पर कभी चक्का जाम होता है, कभी सड़कें जाम होती हैं, तो कभी बसों को जला देते हैं। कल हमारे आदिवासी एमपी के ऊपर भी हमला हुआ। अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यह सब होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि यह देश, देश नहीं रहेगा। आज सरकार द्वारा ओबीसी और बैकवर्ड समाज के लिए एक बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं फिर एक बार कहूंगा कि जब तक हमारे मन से, हमारी राजनीति से हम जाति खत्म नहीं करेंगे, तब तक चाहे हमारी आजादी को 100 साल, 200 साल या जितने भी साल हो जाएं, हमारी आजादी बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन किसी भी जाति या धर्म के नाम पर यह देश न आगे बढ़ पाएगा और न ही मजबूत हो पाएगा। मैं एक बार फिर सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, उसका समर्थन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यह पिछड़ी जाति के लिए आखिरी संशोधन होगा, आखिरी बिल होगा और उसके बाद इस प्रकार से हमारे ऊपर ऐसी नौबत न आए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Ramdas Athawale - not present. Shri T.K.S. Elangovan.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (Tamil Nadu): Sir, this is a Bill which we have been demanding for quite a number of years, and it has finally come. When our hon. colleague, Shri Sambhaji Chhatrapati, who is a descendent of Chhatrapati Shivaji, was speaking, my memory went down the lane where our founder leader, Shri C.N. Annadurai, fondly called as Anna, wrote a play on how there was stiff opposition when Shivaji was being crowned, quoting his caste. In that play, our great actor, Sivaji Ganesan, played the role of Shivaji, and hence we saw Ganesan becoming Sivaji Ganesan. That was the story.

Sir, this Bill is a welcome measure. My view is that the socially and educationally backward may be two words. Educationally backward may become forward, but socially backward has never become forward. We have seen in Tamil Nadu, where our leader, Dr.

Kalaignar, when he was the Chief Minister, brought a legislation that people from any caste, if they were properly trained, could perform puja in the temples and could become priests. More than 300 people were trained properly by the trained teachers, but not a single person was appointed as a temple priest quoting his caste. So, no person could become socially forward. The Government should keep this aspect in mind.

Secondly, Sir, the Amendment says in Article 342A, in line 15-16, "Where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification." Sir, the Governor does not belong to that State. The law prevents a person of the same State from being appointed as the Governor of that State. He should be from some other State. But, the State Government knows as to which the backward classes are. Every State has an individual list of backward classes. So, the word 'Governor' should be replaced by the words 'Government of a State' to recommend to the Commission as to which backward classes are there. Sir, the danger which we are facing now is that we have reservation for SCs, we have reservation for STs, we have reservation for Backward Classes, but the fourth category; the Open Category (OC), which is taken as 'other communities' by the authorities get the reservation to the tune of 50 per cent. In fact, the Backward Classes and the Scheduled Caste people are getting lesser reservation, but the people from the Open Category, which is called as 'other communities', they are given more reservation. The Government should understand that the word OC means Open Category. Even in UPSC, when the backward class students get the first or second ranks, they are pushed to the reserved category. They are denied their rights. So, the Government should also see to this. The powers to list out the OBCs should lie with the State Governments.

MR. VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN: Thank you Sir.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा माइक काम नहीं कर रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप अपनी सीट पर जाइए। इसीलिए वह ऑन नहीं हो रहा है। आपकी सीट कौन सी है, आप उस पर जाइए।

श्री रामदास अठावले: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय,

"आज मेरा खुश हो गया है मन, इसलिए मैं करता हूँ ओबीसी बिल का समर्थन, अब नज़दीक आ गया है वह क्षण, मज़बूत हो जाएगा ओबीसी कमीशन।"

जो 123वां अमेंडमेंट बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमारे देश में 52 परसेंट ओबीसी समाज है। 1990 में मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण मिला, लेकिन अब पूरे 28 साल हो

[श्री रामदास अटावले]

गए हैं, 28 साल के बाद ओबीसी कमीशन को Constitutional Status देने के संबंध में निर्णय हो गया है। कांग्रेस पार्टी को यह करना चाहिए था, लेकिन उनके ध्यान में नहीं आया। उन्हें इस संबंध में कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को न्याय नहीं मिला।

"कांग्रेस ने दलित और ओबीसी को न्याय नहीं दिया,
इसलिए मोदी जी ने सत्ता को छीन लिया।
मोदी जी ने ओबीसी के साथ न्याय किया,
और डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सारे देश को न्याय दिया।"

श्री आनन्द शर्मा: आप तो इधर ही थे, वह भूल गए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अटावले: वह ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सारे भारत को एकजुट करने की कोशिश की। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने Scheduled Castes और Scheduled Tribes को आरक्षण देने के संबंध में सभी के सहयोग से निर्णय लिया था। कालेलकर आयोग के माध्यम से ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक backwardness के मुद्दे पर आरक्षण देने की आवश्यकता थी। वह आरक्षण 1990 में लागू हुआ, जब माननीय वी.पी. सिंह जी प्रधान मंत्री बने। ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण मिला है। वैसे ओबीसी को 52 परसेंट आरक्षण मिलने की आवश्यकता थी, जिस तरह से Scheduled Castes और Scheduled Tribes को उनकी population के हिसाब से पंद्रह और साढ़े सात परसेंट रिजर्वेशन मिला था। यह पचास परसेंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का opinion होने के कारण सत्ताइस परसेंट तक रुकना पड़ा। आज देश भर में आरक्षण के संबंध में विवाद पैदा हो रहा है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपके दो मिनट हो गए हैं। आपने तीन मिनट ले लिए हैं।

श्री रामदास अटावले: ठीक है। आज पूरे देश में आरक्षण की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, गुजरात में पटेल, पाटीदार आरक्षण मांग रहे हैं, राजपूत मांग रहे हैं, जाट मांग रहे हैं, ब्राह्मण मांग रहे हैं, लिंगायत मांग रहे हैं, जैन मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि जो यह ओ.बी.सी. बिल है, इसका तो हम समर्थन करते ही हैं, लेकिन एक बार यह विचार करने की आवश्यकता है कि आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है और सवर्ण समाज में जो economically backward class के लोग हैं, जिनका आमदनी 8 लाख के अंदर है, उनको रिजर्वेशन देने का कानून पास होना चाहिए और 50 परसेंट आरक्षण को बढ़ाकर 75 परसेंट करके सभी लोगों को न्याय देने के संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी हो या Opposition हो या हमारी सत्ताधारी पार्टी हो, हम लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 50 परसेंट आरक्षण को बढ़ाकर 75 परसेंट करके, सभी लोगों को न्याय देना चाहिए। ओ.बी.सी. को भी न्याय मिलेगा। ओ.बी.सी. में जो 27 परसेंट आरक्षण है, उसमें भी categorization करने की आवश्यकता है। उसमें मुस्लिम समाज भी है, मुस्लिम समाज भी अपना ही समाज है। मुस्लिम समाज पहले हिंदू ही था। इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज ओ.बी.सी. का जो 123rd Amendment Bill आ रहा है, उसका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। आज

यह बिल यहां पर पास होना चाहिए। लास्ट टाइम इनकी majority होने के कारण इस बिल का विरोध हुआ था ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास अठावले: इसलिए मुझे लगता है कि इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी होगा और यह बिल पास हो जाएगा।

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under what rule?

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the hon. Member is saying...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no; show me the rule. You are on a point of order. Show me the rule.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the hon. Member is a Minister. ...*(Interruptions)*... He says that Shri V.P. Singh had brought the Mandal Commission and he appointed the Commission. But it is Sitaram Kesri who brought this in 1993 under Narsimha Rao's Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. It is a point of clarification. You please continue, Mr. Athawale.

श्री रामदास अठावले: ठीक है ...(व्यवधान)... किया होगा, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ। आपने कोशिश की होगी, लेकिन हमारा कहना था कि 28 साल में ओ.बी.सी. कमीशन को एस.सी., एस.टी. जैसा Constitutional status मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला था, उसे मोदी जी के राज में करने का मौका मिला है। इसीलिए 52 परसेंट लोग 2019 में हमारे साथ आएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, इसका मतलब है कि 75 परसेंट लोग हमारे साथ रहेंगे, तो आपके साथ कितने लोग रहेंगे? इसीलिए इतने लोग हमारे साथ हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाने जा रहा हूँ।

श्री रामदास अठावले: इसलिए हम 2019 का चुनाव जीतेंगे और आप उधर ही रहो और हम लोग इधर ही रहेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद। डा. विकास महात्मे।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया है। यह बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बिल 52 परसेंट population के लिए लाभदायक होगा। मैं तो मोदी सरकार को धन्यवाद दे ही रहा हूँ, लेकिन आज वे

[डा. विकास महात्मे]

सभी 52 प्रतिशत लोग दिल से मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी ने सत्ता में आते ही कहा था कि यह सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए काम करेगी और यह बिल लाकर मोदी सरकार ने अपनी जो कही हुई बात है, वह पूरी की है, ऐसा मुझे लगता है। यह विधेयक लाने के लिए चर्चा जरूरी है ऐसा सभी ने बताया था, स्टैंडिंग कमेटी ने भी बताया था। 20 साल तक यह नहीं लाया गया, लेकिन मोदी जी पिछड़े वर्गों के हित के लिए यह बिल लाए हैं और इसे जो Constitutional status दिया जा रहा है, वह पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि सभी को पिछड़े वर्गों के हित के लिए इसे समर्थन देना चाहिए। मोदी सरकार का जो भी काम है, वह हमेशा पिछड़े वर्ग और एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. के लिए माननीय मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी ने भी ओ.बी.सी. मंत्रालय अलग बनाया है, और वह भी बी.जे.पी. पार्टी से ही हैं, क्योंकि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीजेपी सोच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ओ.बी.सी. मंत्रालय भी जो पहली बार बना है, वो बी.जे.पी. की पार्टी वालों ने ही बनाया है। जैसे प्रमोशन में आरक्षण का बिल है, एट्रोसिटी कानून को भी सशक्त बनाने का बिल है, उन पर तेजी से काम हो रहा है और यह सब मोदी सरकार के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार पिछड़े वर्ग के लिए एस.सी., एस.टी. के लिए हमेशा काम करती है और करती रहेगी। अभी ऑनरेबल एम.पी. साहब श्री बी.के. हरिप्रसाद जी ने कहा था कि यह एक पितृ पार्टी है। मेरा कहना यह है कि यह मातृ-पितृ समेत यह हम सबके परिवार की पार्टी है, "सबका साथ, सबका विकास" ऐसा हमारी पार्टी का उद्दिष्ट है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 65-70 साल के बाद महाराष्ट्र से मैं धनगर समाज का पहला सांसद हूँ, जिसकी जनसंख्या महाराष्ट्र में एक करोड़ से ज्यादा है, तब विपक्ष की सरकार कहां थी, यह मुझे उनसे पूछना है।

सर, ओबीसी में तकरीबन एक हजार से ज्यादा जातियां हैं और उन्हें काफी लोग अदर बैकवर्ड कास्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंदर बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं। मंडल आयोग में ओबीसी के लिए प्वाइंट सिस्टम है जैसे कि उसमें सामाजिक मुद्दा पहले लिया, उसे 12 प्वाइंट्स दिए, शैक्षिक को छह प्वाइंट्स दिए और फिर आर्थिक आधार पर चार प्वाइंट्स दिए। इस आधार पर मंडल कमीशन ने यह लिस्ट बनाई और प्वाइंट सिस्टम से ही उन्होंने इस पर काम किया था। मैं यह बताना चाहूंगा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण करना बहुत जरूरी है और मोदी सरकार ने जस्टिस जी. रोहिणी की अध्यक्षता में उपवर्गीकरण करने के लिए एक आयोग स्थापित किया है और मुझे लगता है कि उस उपवर्गीकरण से काफी लाभ होगा।

सर, ओबीसी में एक हजार जातियां हैं। अभी आरक्षण के संबंध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह आर्थिक या इकॉनॉमिक आधार पर चाहिए, कुछ सदस्यों का कहना था कि यह हर जाति पर लागू होना चाहिए। प्रो. राम गोपाल यादव जी ने कहा कि हर जाति को अलग करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर उपवर्गीकरण अच्छे तरीके से होता है, तो ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। उपवर्गीकरण के संबंध में मैं यह चाहता हूँ कि जैसे एस.सी./एस.टी. में भी कुछ जातियां हैं, जो पीछे रह गयी हैं, जैसे एस.सी. में मातंग समाज है, जिसके लोग मेरे पास मिलने आये थे, वे कहते हैं कि हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। जो जातियां आगे निकल गयी हैं, हम उनके साथ स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एस.टी. में मीणा जाति है, जो बाकी की जनजातियों से आगे निकल गयी हैं, इसलिए अन्य जातियां

मीणा से स्पर्धा नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको पिछड़ा होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं मीणा जनजाति या किसी भी जनजाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से ओबीसी में भी यादव जैसी जातियाँ हैं, जो आगे बढ़ी हुई हैं। बाकी जो कास्ट्स बची हुई हैं, जो कि करीबन एक हजार के करीब होंगी, वे भी उन्नत कास्ट्स से compete नहीं कर सकती हैं और वे इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसलिए ओबीसी में उपवर्गीकरण बहुत जरूरी है। उपवर्गीकरण के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें भी मंडल कमीशन की तरह प्वाइंट सिस्टम होना चाहिए, जिसे हम Weighted Indexing System कह सकते हैं या भारत सूचीकरण प्रणाली कह सकते हैं। आरक्षण का उद्देश्य यह है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं; और हमारा लक्ष्य यह है कि उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सर, जैसे किसी की शिक्षा जिला परिषद स्कूल में हुई है, या ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन हुई है, कॉरपोरेशन स्कूल में एजुकेशन हुई है, तो वह निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है और उसे आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए हम कुछ माइनस प्वाइंट दे सकते हैं। उसी प्रकार से जिसके माता-पिता अशिक्षित हैं, उनके घर में पढ़ाई-लिखाई करने का वातावरण नहीं रहता है इसीलिए ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता देने के लिए कुछ माइनस प्वाइंट दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जिसके माता-पिता जीने आरक्षण का लाभ पहले से ही ले लिया है और वे आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को कुछ प्लस प्वाइंट दें ताकि उनको कम प्राथमिकता मिले, इस तरह जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, वे आगे जा सकें और वे स्पर्धा में आगे बढ़ सकें। जो आगे बढ़ गए हैं, उनको प्लस प्वाइंट देकर हम पीछे रख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं धनगर समाज का हूँ। मेरा बेटा तथा एक भेड़िया पालने वाला, जो जंगल में घूम रहा है, फॉरेस्ट में घूम रहा है... महोदय, उनके बीच यदि प्रतिस्पर्धा होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा ही हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि भेड़ पालक के घर में पढ़ने का वातावरण नहीं है। इसलिए जो घुमन्तू हैं, उन्हें कुछ मायनस पॉइन्ट देकर, प्राधान्य देना चाहिए, ताकि जो भी पिछड़े हैं, उन्हें हम हमेशा के लिए आगे लेकर जाएं। उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले और वे सब के साथ आगे जाएं। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे कुछ निष्कर्ष लगाएँ। मैंने ऐसे 11 मुद्दे निकाले हैं, लेकिन वक्त कम होने के कारण मैं अपने भाषण को बहुत सीमित कर रहा हूँ। यदि हम ऐसा उपवर्गीकरण करते हैं, तो जैसा कहा गया था, जाति के पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि वैसे भी करते हैं, तो कुछ परिवार ही इसका बार-बार लाभ उठाएंगे। हम देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ऐसा न हो, इसलिए मुझे लगता है कि weighted indexing system बहुत ज्यादा जरूरी है।

हमारे देश में धरने और प्रदर्शन में भी वही विषय आता है। मराठा आरक्षण में भी वही विषय आता है क्योंकि मोर्चे बड़े-बड़े होते हैं, उन्हें आरक्षण देना भी चाहिए। लेकिन हम उनके लिए जब भी आरक्षण देंगे तो उसका लाभ तो वही लोग बार-बार लेंगे और समाज के वही लोग लेंगे, जो आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा न हो, इसलिए मुझे लगता है कि weighted indexing system बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण भी ज्यादा जरूरी है। इससे castiesm भी कम होगा। उदाहरण के लिए जब कोई IAS officer का लड़का बहुत कम मार्क्स मिलने के बावजूद आरक्षण की वजह से यदि मेडिकल में एडमिशन ले रहा है और एक बहुत पिछड़े वर्ग के आदमी का लड़का जो ज्यादा मार्क्स लेकर भी मेडिकल की सीट उसे जब नहीं मिलती है, तो उसे बुरा लगता है यह सोचकर कि IAS officer का बेटा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं है, फिर भी उसे आरक्षण का लाभ मिल गया। ऐसा न हो,

[डा. विकास महात्मे]

इसलिए उसका उपवर्गीकरण करना चाहिए। इससे castiesm भी कम होगा। इसमें आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का मामला नहीं है। क्रीमी लेयर में दो ही portions रहते हैं yes or no, लेकिन भारत सूचीकरण में हम gradation कर रहे हैं। किसी को भी आरक्षण की लाईन से बाहर नहीं कर रहे हैं। यदि सीट खाली रहती है, तो किसी भी income-group का व्यक्ति हो या चाहे कितना भी आगे आया हुआ हो, उसी समाज के उम्मीदवार को वह सीट मिलेगी। मेरा कहना तो यहां तक है कि यदि सीट खाली रह गई है, तो कतार में जो उम्मीदवार सबसे आगे है, उसे प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाओ और वह सीट उसी को दो, मगर दूसरे वर्ग में ट्रांसफर मत करो। यदि इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो सभी के लिए अच्छा है।

महोदय, मैं economic या आर्थिक आरक्षण के खिलाफ हूँ। हमारे पक्ष के लोग SC/ST और OBC के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हम economic आरक्षण तो कहते हैं, लेकिन आज भी आप matrimonial पढ़िए, शादी के लिए जो registration होता है, उसमें आप पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि इस-इस कास्ट की लड़की या लड़का चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

डा. विकास महात्मे: महोदय, इसलिए सामाजिक आरक्षण बहुत जरूरी है। सामाजिक आरक्षण में भी जो पिछड़े हैं, उन्हें हम प्राधान्य दें, तो हम इस व्यवस्था को और अच्छा तथा ताकतवर बना सकते हैं। इस बिल में यह बात आई है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ने जो आयोग बैठाया है, वह पिछड़ेपन के वर्गीकरण पर विचार कर के उसे लागू करेगा। इतना कह कर मैं इस बिल को समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) : Now, Shri Ripun Bora. You have three minutes because your party has one more speaker.

SHRI RIPIN BORA (Assam) : Thank you, Sir, for giving me this opportunity to take part in this most important Bill. First of all, I want to start with this. My friend, Mr. Bhupender Yadav is not here. While supporting the Bill, he has said so many things. But all of that was ornamental language; there is nothing as such.

Sir, I want to remind him of one thing. There is a book, "Bunch of Thoughts" by one of the founders of RSS, Mr. M.S. Golwalkar. It is written there and I am quoting from it, "Anger against reservation for Scheduled Castes is natural and justified." Sir, it is very serious. ...**(Interruptions)**... It is a very serious thing. This establishes their outlook, their thinking towards the *dalits* and the Backward Classes. Sir, I do not want to mention the name. I have only three points. There is no doubt, we support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Make your points fast. ...**(Interruptions)**...

SHRI RIPUN BORA: We are supporting it. My friend Shri B.K. Hariprasad, has very rightly said. Though Mr. Bhupender Yadav tried to say that we had opposed this Bill during the 2017 Session, but it is not the fact. We have never opposed. We had just

pointed out that the Bill is defective and it should be rectified because we have concern for the OBC people. A defective Bill cannot serve the purpose of the OBC people. That is why we have said that it should be rectified. Now, some parts have been rectified. The Congress Party is going to support it but, at the same time, I want to express some of our apprehensions about the shortcomings of this Bill. If the hon. Minister addresses these shortcomings in his reply, we would be very happy.

The first thing is that yesterday — the BJP National President Shri Amit Shah is here; I am not going to dispute him; I am just supplementing him; — he has asked a question to our Congress President, Shri Rahul Gandhi, to clarify whether he supports the OBC Bill or the Congress Party supports the OBC Bill. By this reply, I want to say this thing only, Sir, that it is the Congress Party — there should not be any doubt — which, in 1953, first constituted the Backward Classes Commission headed by Kaka Saheb Kalelkar. Now, Shri Bhupender Yadav has said that ...*(Time-bell rings)*... Just two minutes, Sir. Only two minutes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I cannot give you two minutes. Then, the other speaker will be left out. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: I have not concluded. ...*(Interruptions)*... Only two minutes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You give these points to him. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: I am concluding, only two minutes. Sir, now, it is not fair to say that from 1953, the Congress Party, this Backward Classes Commission has done nothing. It is only because of that Backward Classes Commission that so many castes, so many communities were included in the Backward Classes Commission. It is the Congress Party which has given 27 per cent reservation to the Backward Classes. It is the Congress Party which, in 2011, started the caste-based survey in order to include other communities in the Backward Commission. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, I am sorry to say that the survey is completed but the Government till now has declined to reveal the result of this caste-based census.

Sir, my last point is this. What is the status of the OBC people under the BJP Government? In the Central Government, there are 42 Ministries. There are 'A', 'B', 'C' groups. In all these 'A', 'B', 'C' groups of 42 Ministries, only 19.53 posts are reserved for the OBC people in spite of the provision of 27 per cent of reservation. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next speaker is Shri D. Raja. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, I have just one last point. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You give it to the other speaker. ...*(Interruptions)*... We have to complete it by 5 o' clock. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, in the Commission. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have already called the next speaker. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: Sir, in the Commission, there are five members. I want to say that their concept is '*Sabka Saath, Sabka Vikas*'. If it is so, then, why are they opposing to appoint a member from the minority community? Why are they opposing to appoint a member from women? Women constitutes 50 per cent population of our country today. If they really believe in '*Sabka Saath, Sabka Vikas*', then. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... Mr. D. Raja. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: ... I request the hon. Minister that one member from minority community and one-member from women should be included in the five member Commission. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. D. Raja, you have only two minutes.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. The purpose of this Bill is to create a National Commission for Backward Classes with constitutional status at par with the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes. While supporting this Bill, I would like to articulate a few concerns. These concerns are the concerns of the entire nation. Why do we create commissions one after another? Their reports are not being placed in Parliament regularly. No serious discussion takes place on those reports and whatever the findings or the recommendations of these Commissions are just treated as recommendatory. They are not mandatory, binding the Government of the day to act on those findings or recommendations. So, Sir, this is one issue that the Government will have to think over seriously. Why? For the namesake, we create commissions or just to hoodwink certain sections of our society. When we

face elections, we are doing this, or, we do it with all seriousness to empower our people economically, socially and educationally. This is my first question.

Second, Sir, the country is facing multiple challenges. One of the challenges is the challenge through the very social justice. Many things have been said about the reservation. What is the condition today? How are we implementing the State Policy on Reservation? After the BJP came to power, the Planning Commission has been dismantled. NITI Aayog has been created. Now, what is the mandate of the NITI Aayog? I raised this issue on several occasions. The NITI Aayog proposes Public-Private Partnership Model (PPP). NITI Aayog proposes privatisation of all public sector undertakings. Where is the scope for reservation? You are really, in a subtle manner, working against to end the policy of reservation. This is what I want to tell you. Openly, you are not doing but in subtle way you are doing it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Raja, you have to conclude. ...*(Time-bell rings)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I am concluding. When the Mandal Commission came out with the Report, my party was one of the first parties to support the recommendations of the Mandal Commission. The Mandal Commission, when it identified the OBCs on the basis of social and educational backwardness, it also followed the economic criteria. Let us not forget it. They also followed the economic criteria. On that basis only. ...*(Time-bell rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI D. RAJA: Now, the question is, there is a Supreme Court Order of 50 per cent ceiling on reservation. The reservation should not go beyond 50 per cent. I don't know as to what authority the Supreme Court has got to decide on such matters. It is for the Parliament to decide. It is a policy matter. If Parliament Wants to give more reservation, the Parliament can decide. Why is the Government not going for a review of that Supreme Court Order? The reservation should not be more than 50 per cent. Why? Why cannot the Government go for a review? I am asking the present Government. You go for a review. Now, the *Dalit* Christians are asking for reservations. The *Dalit* Muslims are asking for reservations. Already, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not getting adequate representation. It is nowhere. You go by the reports. You go by the facts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Your time is over.

SHRI D. RAJA: And, that is where the question for social representation in judiciary also comes up. Why can't we have social representation in judiciary? Prof. Ram Gopal Yadav said that there should be reservation. I am asking as to why we can't have adequate social representation in judiciary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: So, these are some of the very important issues. The Government will have to address it; otherwise, what is the use of creating commissions. It cannot be a device to just hoodwink the people. We must show our sincerity. It is not about the Congress or the BJP. Let us think of Buddha who started this whole campaign for social justice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you Shri Raja. ...*(Interruptions)*... Thank you very much.

SHRI D. RAJA: It is Dr. Ambedkar who took it further in the modern times. We should give our gratitude to Dr. Ambedkar and others.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over. ...*(Interruptions)*... Your time is over. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

SHRI D. RAJA: I am from Tamil Nadu and I must say that it is the Periyar who took up this issue for...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Raja, you conclude otherwise nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I am concluding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am calling the next speaker. ...*(Interruptions)*... You have said it earlier. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I am concluding. What I am saying is that the Government should show some sincerity in implementing the policy of reservation and the Government should take up reservation in private sector also. That is my last point. Let the Government address these questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Madhusudan Mistry. You have only two minutes.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, बहुत सारी चीजों के ऊपर भी भूपेन्द्र यादव जी ने बोला है, लेकिन उनकी कितनी ही बातों के अंदर हकीकत में दोष है। काका कालेलकर कमिशन ने जो रिपोर्ट दी थी,

उस रिपोर्ट के अंदर यह था कि पूरे देश के अंदर सभी जातियों का समावेश करने का काम बहुत बड़ा और मुश्किल है और जब उन्होंने वह रिपोर्ट प्रेज़िडेंट को सौंपी, तो तीस पेज का लैटर लिखा। उस लैटर में उन्होंने ये सब चीज़ें कही थीं, साथ ही उसमें सभी स्टेट्स का अपना-अपना कमिशन बनाने की बात भी कही गई थी। उसी की वजह से गुजरात के अंदर Bakshi Panch की रचना हुई थी। शायद भूपेन्द्र जी वह बात करनी भूल गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने अपनी-अपनी जगह पर SCs and OBCs की कम्युनिटी को तय करके, जो Socially and educationally backward थे, उनके लिए अलग-अलग कमिशन बनाए थे एवं उससे ऊपर से और जातियां नक्की की थीं। इनकी recommendation के संबंध में सभी स्टेट्स ने अपने-अपने हिसाब से ऐक्शन लिए थे, इसलिए ऐसा कहना कि 30-40 साल तक कुछ हुआ ही नहीं और आपकी सरकार ने ही आकर इस मुद्दे को हल किया है, यह सरासर असत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इस बात को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। इसमें मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप जिस समतामूलक समाज की रचना की बात करते हैं।
...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): If there is anything unparliamentary, it will be expunged.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : फिर उसमें पिछड़ा, उसमें भी अति-पिछड़ा, अति-पिछड़ा के अंदर भी दूसरे पिछड़े, यह सब चीज़ें आप क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मेरे हिसाब से इसके पीछे वोट लेने के अलावा दूसरा कोई रीज़न नहीं है। हमारे यहां गुजरात में 2002-03 के अंदर यही हुआ था। ओबीसी के अंदर फिर अति पिछड़ा गया, उसकी community detail नोट की गई, लेकिन आज भी उस कम्युनिटी की वही स्थिति है। उनके लिए बजट में आप ज्यादा-से-ज्यादा 15-20 लाख रुपया या एक करोड़ रुपया देते हैं, इसके अलावा उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। उनका जो social status है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनके educational level में बहुत कम चेंज हुआ है, क्योंकि उनके लिए बहुत पहले जो आश्रमशाला वगैरह शुरू हुई थी, वह अभी तक भी चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिए क्या किया? गुजरात के अंदर तो आप लोग बहुत सालों से सत्ता में हो और उसको आप model State में गिनते हो, वहां की परिस्थिति क्या है, यह बात आप क्यों नहीं बताते हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं।

सर, इस कमिशन के अंदर तीन चीज़ें और हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। गहलोट जी, इसके अंदर investigation करने की ताकत सरकार के द्वारा आपको दी गई है, इस कमिशन को दी गई है, लेकिन कमिशन के सामने जो मुद्दे आते हैं, वे सरकार के सामने ही होंगे और सरकार की machinery से ही उसको investigate करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमिशन की खुद की कोई machinery है अथवा क्या कमिशन अपनी कोई machinery create करेगा? क्या कमिशन के पास इतना बजट होगा? अगर आपको कमिशन के प्रति इतना लगाव है, तो इसको आप Charged Expenditure में रखिए ना, ताकि उनके बजट के ऊपर कोई कट न हो और उनका बजट बढ़ता जाए। अगर यह Constitutional Commission है, तो आप इसे उस कैटेगरी में क्यों नहीं लाते हैं? जिस Charged Expenditure के अंतर्गत High Court judges, Supreme Court judges and Governors आते हैं, उसमें आप इनको भी लाइए, ऐसी मेरी दरखास्त है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.
...(Interruptions)... Please conclude ...(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: तीसरी बात, educationally backward class के अंदर हुआ क्या है, खास करके जो ट्राईबल एरियाज़ हैं और जहां पर OBCs की बस्ती है, वहां पर Mathematics, English, Science or Physics, इन तीन विषयों के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। उनको सिखाया ही नहीं जाता, कितने ही स्कूलों के अंदर सरकार ने यह बंद कर दिया, इसलिए प्राइवेट में करते हैं।
...(समय की घंटी)... सर, मैं एक मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): नहीं, आपके पास एक मिनट नहीं है, आपका टाइम खत्म हो गया है। Thank you. Your time is over. ...(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: Mathematics, Science और English में weak होने की वजह से रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी वे लड़के competition में आगे नहीं आ सकते और न ही किसी जॉब के लिए क्लेम कर सकते हैं। जब वे हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो तीन attempt के बाद पूरी सीटें जनरल कैटेगरी की हो जाती हैं, तो आपने कहां सीट भरी? स्कूल एजुकेशन के सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा चेंज इतने सालों के बाद कहां लाये? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): ठीक है। हो गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: चूंकि गुजरात आपका मॉडल है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं।
...(व्यवधान)... चूंकि आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट गुजरात से आते हैं, तो उसके ऊपर पर्दा डालें।
...(समय की घंटी)... आज क्यों ये जगहें नहीं भरी जाती? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Your time is over. ...(Interruptions)... Now, I go to the next speaker.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं आपसे जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... आप उसकी वजह से आज इतने हावी हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Ritabrata Banerjee. ...(Interruptions)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, अगर मुझे और टाइम मिले, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।
...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Nothing will go on record. Now, Shri Ritabrata Banerjee. You have only one minute.

श्री मधुसूदन मिस्त्री: *

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I will speak for two minutes and I will conclude within that. Sir, I stand here to support the Bill which seeks to provide

*Not recorded.

constitutional status to the National Commission for Backward Classes. The Bill has been under the lens of consultation and amendments for more than a year now. So, it is now imperative that this Bill be passed to grant the status without any further delay, but, with adequate rights and representations. Sir, I feel that this Bill unduly interferes in the rights of the States. The Bill gives power to the President to add to the list of backward classes for a given State after consulting the Governor. Such a provision erodes the federal structure of our polity. The Bill seeks to create a Commission that has sweeping powers and centralized authority. The language in the Bill does not suggest that the President is bound by the advice given to him by the Governor on inclusion of communities into the list of backward classes. The President is merely supposed to consult the Governor. This undermines the role of State Governments.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

Lastly, it is the State Governments that have a closer role to play in the day-to-day lives of the people of this country. Implementation of schemes and provision of basic welfare services fall within the domain of the States. This places State Governments in a unique position to understand the specific needs and aspirations of specific communities. Therefore, when one is speaking of the State List for Backward Classes, it must always be the sole prerogative of the State Governments to add communities to this List. The Commission at the national level shall not be as equipped as the States to understand these unique needs.

Sir, this fight for social justice is a question of breaking barriers. Hundreds of years ago, it was Shri Chaitanya from Bengal who broke the social barriers.

* Your bretherly you have treated with disrespect, you have denied them, their simple human rights. You have made them stand and wait before you. And not given a place in your affection. You must share with them all, their ignominy.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, please allow me half a minute. Today, incidentally, 6th of August is the Hiroshima day. Hundreds of years ago, it was none other than Rabindra Nath Tagore who categorically said about the conditions of the people in our country.

श्री सभापति: आप क्या पढ़ रहे हैं? ...*(व्यवधान)*... नहीं, नहीं। ...*(व्यवधान)*...

SHRI RITABRATA BANERJEE: * Those you trample underfoot, drag you down. Further backward they recede, the less you advance. Shut off the light of knowledge from them and a blind wall separates you from your well-being. You must share with them all, their ignominy.

* English translation of the original speech delivered in Bangali.

5.00 P.M.

श्री सभापति: धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**... Shri Biswajit Daimary. ...**(Interruptions)**... No, no. Mr. Ritabrata Banerjee, you are an educated man, youngster. You know how things go. Three times you were saying half a minute, half a minute. You are Independent. How much time do you have? You have to understand.

श्री विश्वजीत दैमारी (असम): सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि Socially and Educationally Backward लोगों के लिए एक कमीशन बनने जा रहा है। लेकिन कमीशन का जो एक्सपीरिएंस है, मैं Scheduled Tribe से belong करता हूँ, इसलिए मुझे इसका थोड़ा अनुभव है। इसके कारण मैं आज अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कमीशन को बनाने के बाद इसमें यह देखना होगा कि यह जिस purpose से बनाया गया है, उस purpose को यह अच्छी तरह से serve करे, पूरा काम करे। सर, आज National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Minorities और National Commission for Scheduled Castes हैं। कमीशन जो भी काम करता है, उसको हमारा मंत्रालय या डिपार्टमेंट follow up नहीं करता है। अगर वह उसको follow up नहीं करता है, तो इसी कमीशन से हम लोग जो उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं, वे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, उनको ऊपर लाना है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना है।

दूसरी बात यह है कि जो Socially and Educationally Backward लोग हैं, उनको हम कैसे identify करेंगे। आज हमारे यहां ऐसे ही थोड़ा सा कभी-कभी confusion हो जाता है। जैसे, ट्राइबल के base में, यहां पर सब हमारे किरेन रिजिजु जी को जानते हैं, जो Home Ministry में Minister of State हैं, वे एक tribal person हैं और दूसरी तरफ, वे Minority में भी हैं, क्योंकि ये Buddhist religion से हैं और हमारे इंडिया में Buddhist को एक Minority के तौर पर जाना जाता है। इस प्रकार, एक आदमी कितने कमीशंस के पास जा सकता है? इसको हमें देखना है। आप क्रिश्चियन होने के कारण माइनॉरिटी वाले में भी जा सकते हैं, आप Scheduled Tribes वाले में भी जा सकते हैं और आप अगर गरीब हैं, इसलिए Socially and Educationally Backward वाले में भी जा सकते हैं। यानी वे तीन बार petitions देंगे। अगर तीन कमीशंस में एक ही आदमी बार-बार petition देगा, तो यह कैसे हो सकता है? इस तरह से ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कमीशन सचमुच अच्छा काम कर सकने में सक्षम हो। आज कमीशन में जितना भी office staff होना चाहिए, वह नहीं है। इन सब बातों पर सरकार की ओर से नज़र रखी जाए।

MR. CHAIRMAN: Before the Minister replies, I hope that all the seniors would apply their mind to one point which he made — the same issue, the same person going to three Commissions and three Commissions issuing notices and making inquiries. That is the point he has raised. We have to find some answer to this in the long-term, not now. Now, the Minister.

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर हुई चर्चा में लगभग 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी ने इस विधेयक का समर्थन

किया है। तीन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में कुछ संशोधन पेश किए हैं। जो संशोधन उनकी तरफ से आए हैं, मैं उचित समय पर उन पर चर्चा करूंगा परन्तु माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां व्यक्त किए, उनमें से जहां बहुत-सी बातें इस विधेयक से संबंधित हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जो इस विधेयक से बहुत दूर हैं। फिर भी, अगर आप समय देंगे तो उन बातों का जवाब मैं दे सकता हूं।

श्री सभापति: जितना सम्भव है, उतना संक्षेप में बोलने की सामर्थ्य आपके पास है, वह मुझे मालूम है। उस हिसाब से आप प्रयास करिए। इसके बाद हमें एक बिल और लेना है।

श्री थावर चन्द गहलोत: आपके निर्देशानुसार मैं कम-से-कम समय में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री ने जब अपने पद का कार्यभार सम्भाला और अपना पहला संबोधन दिया था, अपने पहले संबोधन के पहले वाक्य में उन्होंने कहा था कि 'नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों और पिछड़े वर्गों को समर्पित सरकार है।' इसका सीधे-सीधे अर्थ निकलता है कि हम उनकी बात पर विश्वास करें। यहां मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले 4 वर्षों में हमने उस दिशा में बहुत से कदम उठाने का काम किया है। हमने एक घुमंतु आयोग का गठन किया। लंबे समय से घुमंतु जाति की पहचान करने, उनकी समस्याओं को समझने, उनके हकों का निर्धारण करने और उन हकों को दिलाने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता थी। उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को इस आयोग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास हमने किया है। उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उस प्रतिवेदन को हमने राज्यों को प्रसारित किया, ताकि इस संबंध में राज्य यदि कोई सुझाव देना चाहें, कोई राय देना चाहें तो दे दें। साथ-ही-साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों को भी वह प्रतिवेदन उनकी राय जानने के लिए जारी किया गया। आम लोगों की राय जानने के लिए भी हमने उसे जारी किया। निश्चित रूप से इस प्रतिवेदन पर सरकार गम्भीर कार्यवाही करेगी। वे भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस आधार पर उन्हें न्याय दिलाने और उनके हकों की रक्षा करने का काम हम करेंगे।

यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं, ईमानदारी से आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं। अपनी बातों को कहते हुए, कुछ आंकड़ों भी उनकी तरफ से यहां दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब-जब हमें, चाहे राज्यों में या केन्द्र में, सरकार में आने का अवसर मिला है, हमने सिद्ध कर दिया है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। केन्द्र में आजादी के बाद, पहली बार गैर-कांग्रेसी विचारों के देशभक्त नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री बने, उनके समय में हमने इसे सिद्ध करके दिखा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के तारतम्य में तत्कालीन सरकार ने 5 कार्यालयीन आदेश जारी किए थे। 1997 में वे जो पांच कार्यालयीन आदेश जारी हुए थे, उनके कारण आरक्षण संबंधी प्रावधान प्रायः समाप्त हो गए थे। अगर उस समय भी प्रयास होते, तो रिव्यू पेटिशन लग सकती थी। उन आदेशों को निरस्त करके, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ये सब अधिकार देने के लिए ordinance जारी किया जा सकता था, पर वह नहीं हुआ था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री बने, तब हम सब, एससी/एसटी सांसदों का जो एक फोरम होता है, उनसे आग्रह किया। उस समय एक एमओएस थे, अशोक जी प्रधान, हमने उनके यहां बैठक बुला कर उनको आमंत्रित किया। उस समय संसदीय कार्य

[श्री थावर चन्द गहलोत]

मंत्री, श्री प्रमोद महाजन जी थे, कार्मिक प्रशासनिक मंत्री थीं वसुंधरा राजे सिंधिया जी, अटल जी ने हम लोगों की बात सुन करके प्रमोद जी को स्पष्ट निर्देश दिया, उन्होंने उस समय जो शब्द यूज किया था, मैं उसी को बोल रहा हूं, "प्रमोद, अगर बाई ऑर्डर सरकार के आदेश से यह निरस्त हो सकते हैं, तो तत्काल आदेश जारी करो। अगर संविधान में संशोधन करना पड़े, तो संविधान में संशोधन करके करो।" चूंकि वह बाई ऑर्डर संभव नहीं था, इसलिए पांच कार्यालयीन आदेश में से दो कार्यालयीन आदेश के विरुद्ध रिव्यू पेटिशन लगी थी, बाकी जो तीन कार्यालयीन आदेश थे, अटल जी ने 2000 और 2002 में संविधान संशोधन करके, वे जो आदेश हुए थे, जिनके कारण आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त हो गए थे, उनको फिर से बहाल करने का आदेश दिया। उसके बाद से वह लागू हुआ, नहीं तो वे जो आदेश जारी हुए थे, उनके आधार पर तो आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान थे, वह तो प्रायः समाप्त हो गए थे।

अटल जी को उस समय मीडिया वालों ने पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने पूछा था कि क्या अब आपकी सरकार मनुवाद पर चलेगी या कैसे चलेगी? इस पर अटल जी ने कहा था कि मेरी सरकार भीमवाद पर अर्थात् भारत के संविधान के आधार पर चलेगी। ये जो शंका-कुशंका करते हैं, इनको शंका-कुशंका करनी ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं इतना स्पष्ट कहने के बाद भी ये क्यों शंका करते हैं? नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार इस प्रकार की बातों को दोहराया कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, थे और रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कहा, भारत के विधि मंत्री, रवि शंकर जी ने भी एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कहा और मैंने भी कई बार कहा। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार की आशंका-कुशंका न करें। आप ऐसा शायद इसलिए करते होंगे कि जनता में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में भ्रम पैदा हो जाए और सरकार की जो छवि बनी है, उसमें कहीं-न-कहीं व्यवधान आ जाए। आपको इस आधार पर जनाधार बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। चार सालों में नरेन्द्र मोदी जी ने इन वर्गों के हितों के लिए जो काम किया है, इस कारण से जनाधार बढ़ा है और आपने देखा कि जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने थे, तो सात राज्यों में भाजपा या भाजपा के गठबंधन की सरकार थी।
...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी, चुनाव एक साल बाद है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़, नीरज जी ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर: सर, ये भाषण दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्या करना है, वह मैं देखता हूं, कृपया आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए।
...(व्यवधान)... You sit down please. ...(Interruptions)... It is not your job.
...(Interruptions)... You are not in the Chair. ...(Interruptions)... यह तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मेशन भी नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर: *

श्री सभापति: अगर हर एक व्यक्ति खड़े होकर इस तरह से बोलेंगे, तो कैसे होगा? ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: *

श्री सभापति: किसने क्या बोलना है, वह मुझे मालूम है। ...**(व्यवधान)**... आपको जो बोलना था, वह आपने बोल दिया। अब उन्हें जो बोलना है, वे बोलेंगे। अगर इसमें कोई अनपार्लियामेंट्री है, तो मैं उसको जरूर निकाल दूंगा।

श्री थावर चन्द गहलोत: सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश विधान सभा से आता हूँ, मध्य प्रदेश विधान सभा में relevant matter से एक वाक्य भी इधर-उधर नहीं बोलने दिया जाता है। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि लोक सभा और राज्य सभा में जो विषय होता है, उससे भिन्न अनेक प्रकार के फ्री स्टाइल में भाषण होता है और इधर-उधर की समस्याएं रखी जाती हैं, तो फिर उत्तर भी थोड़ा-बहुत देना ही पड़ता है, नहीं तो देश में गलतफहमी पैदा हो, तो यह अच्छी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: This is not the way. ...**(Interruptions)**... This is Parliament of India, Elders' House and all of us here are supposed to be 'hon. Members', keep that in mind.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, क्रीमी लेयर की भी चर्चा हुई, sub-categorization ओबीसी वर्ग की भी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर आज कोई यह कह रहा है कि क्रीमी लेयर को समाप्त करना चाहिए, तो इसको आपने ही बनाया था। यह जिस फॉर्मूले से बना हुआ है, हम उसी फॉर्मूले से उसकी राशि, उसकी लिमिट में वृद्धि करते जा रहे हैं। इसके साथ-ही-साथ, sub-categorization की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली प्रदेश के उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस श्रीमती जी. रोहिणी जी की अध्यक्षता में sub-categorization के लिए एक आयोग गठित किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके समक्ष sub-categorization के विषय विचाराधीन हैं। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि उनका प्रतिवेदन आने पर यह सरकार सकारात्मक कार्रवाई करेगी और लम्बे समय से जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे।

सभापति महोदय, यहां Atrocities Act की भी बात की गई। Atrocities Act में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिये थे, उन निर्णयों के कारण Acts में कुछ कमजोरी आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उस कमजोरी को ठीक करने के लिए लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इसी समय लोक सभा में भी Atrocities Act के उस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। मैं यहां से वहां जाकर, उस विधेयक को प्रस्तुत करके, अपने कुछ विचार व्यक्त करके यहां आया हूँ और यहां से जाने के बाद फिर उसका जवाब दूंगा। यहां पर वोटिंग होने के बाद, उस विधेयक पर भी निर्णय होने वाला है। हम यह सब प्रत्यक्ष में करके दिखा रहे हैं, अब शंका-कुशंका की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें इस प्रकार के सदस्य होने चाहिए, ओबीसी के ही सदस्य होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः यह परम्परा है और हम उस परम्परा का अनुपालन भी करेंगे। अगर एससी वर्ग के लिए आयोग है, तो उसमें एससी वर्ग के लोग

[श्री थावर चन्द गहलोत]

होते हैं और अगर एसटी वर्ग के लिए आयोग है, तो उसमें एसटी वर्ग के लोग होते हैं। मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि यह ओबीसी वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग होगा और इसमें भी ओबीसी वर्ग के सदस्य होंगे। मैंने एक बात पिछले टाइम में स्पष्ट कर दी थी, फिर भी उस विषय को बार-बार उठाया जा रहा है और संशोधन भी आया है कि इसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए। मैं गंभीरता से आश्वस्त करता हूँ कि जब हम नियमों में प्रावधान करेंगे, नियम बनाएंगे, तो एक महिला सदस्य होगी, इसमें हम इस तरह का प्रावधान करेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा कि जिस प्रकार से एससी आयोग, एसटी आयोग में इबारत लिखी गई है, जो परिभाषा दी गई है, उसी आशय की परिभाषा, वही शब्दावली, वही इबारत इस ओबीसी आयोग में भी है। अगर आप इसमें कहीं शंका-कुशंका करते हैं, तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि एससी आयोग और ओबीसी आयोग कब बना था, यह किसने बनाया था? इतने सालों से वे आयोग काम कर रहे हैं। आयोग को समस्याएं सुनने, उनको समझने, evidence वगैरह लेकर, सभी निष्कर्ष निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके खिलाफ शिकायत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की राय देने का अधिकार है। वे सरकार को राय देते हैं। जैसे एससी-एसटी आयोग को अधिकार है, इनको भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आयोग के समक्ष जातियों को जोड़ने और घटाने वाला विषय भी होगा। जब यह आयोग बनेगा, तब इसको अपने अधिकार, कर्तव्य, कार्य-शैली और कार्य-योजना स्वयं बनाने का अधिकार होगा। जिस प्रकार से एससी-एसटी आयोग को अधिकार है, इसको भी उसी आशय का अधिकार है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को एक शंका और है, जो शायद कुछ तो जान-बूझकर की जा रही है या कुछ अनजाने में की जा रही है कि यह राज्यों के ऊपर बंधनकारी होगा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह जो केन्द्र का आयोग बनने वाला है, यह किसी भी प्रकार से राज्यों के लिए किसी विषय के ऊपर बंधनकारी नहीं होगा। यह केन्द्र से संबंधित आयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 22 राज्यों में राज्यों के आयोग भी गठित हैं। मेरे पास उनकी लिस्ट भी है, आप चाहें तो मैं पढ़कर बता सकता हूँ। ये राज्य आयोग अपने-अपने राज्यों में ओबीसी वर्ग में जातियों को सम्मिलित करने या उनको हटाने का अधिकार रखते हैं और वे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एससी-एसटी की लिस्ट राज्य और केन्द्र में एक रूप में है, एकसमान है। अगर एससी-एसटी में केन्द्र की सूची में कोई जाति है, तो वह राज्य की सूची में भी है, लेकिन ओबीसी वर्ग में ऐसा नहीं है। ओबीसी में, राज्य का आयोग जिन जातियों की लिस्ट बनाता है, वह बनाएगा। अगर उनको केन्द्र की सूची में लाना है, तो संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव करके भेजेगी। वह उसे सीधे आयोग को भेज सकती है या भारत सरकार के माध्यम से भी भेज सकती है। अगर इस प्रकार की रिकमंडेशन वाला कोई सुझाव आएगा, प्रस्ताव आएगा, तो यह आयोग उस पर विचार करेगा। उस पर विचार करने के बाद आयोग जो राय देगा, उस राय पर सरकार निर्णय लेगी और बिल बनाकर संसद के समक्ष लाएगी, उसके बाद उस जाति को घटाने या बढ़ाने का प्रावधान होगा। एससी-एसटी आयोग के माध्यम से हम जो करते हैं, वही प्रणाली यहां होने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई शंका-कुशंका नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह कहा जा रहा है कि साहब, राज्यों के अधिकार का हनन होगा। किसी प्रकार से न तो राज्यों के अधिकार का हनन होगा और न ही केन्द्रीय आयोग के

प्रतिवेदन पर उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन होगा। वे अपनी कार्यशैली, अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वे उन संशोधनों पर जोर न दें और उनको विद्वृत्त कर लें। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह अर्थ निकलेगा कि पहले भी लोक सभा में ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, let us speak on our amendments.

श्री सभापति: पहले इनको respond करने दीजिए, बाद में आप पूछिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: वह तो मैं कहूँगा ही। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: That is what I am saying. इसीलिए मैंने intervene करके कहा। आप बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं केवल एक बात यह कह रहा हूँ कि नहीं तो फिर यह अर्थ निकलेगा कि लोक सभा ने तो सर्वानुमति से पहले भी पास कर दिया, इस बार भी पास हो गया, लेकिन अब अगर यहां कोई छोटा-मोटा संशोधन करके इसको रोक दिया जाए और फिर यह लोक सभा में जाए और यहां आए, तो फिर यह लम्बा हो जाएगा।

श्री सभापति: कोई रोकने वाला नहीं है।

श्री थावर चन्द गहलोत: इस प्रकार से रोकने की प्रक्रिया न हो, ऐसा मेरा अनुरोध है।

MR. CHAIRMAN: There are four further Amendments to the amendments alternative to the amendments made by the Rajya Sabha and further amendments made by the Lok Sabha to the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017; Amendment (Nos. 4 and 5) by Shri B.K. Hariprasad and Smt. Chhaya Verma and Amendments (Nos. 6 and 7) by Shri Husain Dalwai. Now, "Shri Hariprasad.

SHRI B.K. HARIPRASAD : Mr. Chairman, Sir, despite knowing the fact that this Government will not accept my Amendments of giving representation for women and minority, I gave notice of Amendments. I know that this Government is anti-women and anti-minority.

MR. CHAIRMAN: Don't make allegations.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, hon. Minister said something. ...**(Interruptions)**... When the hon. Minister reacts by saying that we should withdraw it, ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: Nobody can be anti-women or nobody can be anti-men. ...**(Interruptions)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, when the hon. Minister can say, why not me, as Member, who has given Amendments? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Are you moving? ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, despite knowing that this Government is anti-women and anti-minority, I gave my Amendments. But, in the interest of the OBCs, I am not pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: Thank you. To my knowledge, nobody can be anti-women or anti-men, because man and woman together is woman. ...*(Interruptions)*...

Now, Amendments (Nos. 6 and 7) by Shri Husain Dalwai.

श्री हुसैन दलवई: सर, मैं इतना ही कहूंगा कि पहले जो statutory status था, उसको एक तरफ आपने legal status और Constitutional status दिया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आपने इसमें कमीशन के दाँत को निकालने का जो काम किया है, वह ठीक नहीं है। कमीशन के पास inclusion and exclusion के जो अधिकार थे, वे मेरे ख्याल से उन अधिकारों को निकालना गलत होगा। आज महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन चला है, इससे उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यह आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि ...

श्री सभापति: आप इसको press कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना ही कहिए, प्लीज़।

श्री हुसैन दलवई: सर, मुझे एक-दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापति: ऐसा नहीं होगा, यह आपको मालूम है न?

श्री हुसैन दलवई: मैं केवल दो मिनट बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: No, no. You have already spoken. I have to put your Amendments to vote. Are you pressing your Amendments?

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Why are you wasting your energy? ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: Are you pressing your Amendments or not? ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Why are you wasting your energy? ...*(Interruptions)*... Are you pressing your amendment or not?

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: Are you pressing your Amendments? ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: *

श्री सभापति: क्या करना है, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: *

MR. CHAIRMAN: It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Are you pressing the Amendments or not? ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. Why are you wasting your energy? Are you pressing your Amendments or not? ...*(Interruptions)*... Are you moving the Amendments? ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. So, no need to take note of it. ...*(Interruptions)*... Are you moving your Amendments or not?

श्री हुसैन दलवई: ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ और अपने अमेंडमेंट्स मूव नहीं कर रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: That's good. यही विषय होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, Shrimati Chhaya Verma is also here. What about her Amendments? ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: छाया वर्मा जी का अमेंडमेंट होकर आ गया है। हम लोग अमेंडमेंट नम्बर 6 और 7 ले चुके हैं। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे समझदार हैं, यह मालूम है। ...*(व्यवधान)*... हरिप्रसाद जी के साथ ले चुके हैं। छाया वर्मा जी समझदार हैं। आप चिंता मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*... बैठकर बोलना अच्छी बात नहीं है, यह हम लोगों को शोभा नहीं देता है। ...*(व्यवधान)*... Under Article 368 of the Constitution, the motion will have to be adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting. So, let the lobbies be cleared. It is an amendment to the Constitution. Division is mandatory, whether one asks for it or not. यह formality है, एक पद्धति है। Now, the question is:

*Not recorded.

[श्रीमती छाया वर्मा]

That the following alternate amendments and further amendments made by Lok Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017, be taken into consideration, namely:—

Insertion of new article 338B. "That at pages 2 and 3, the following be inserted, namely:—

'3. After article 338A of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:—

National Commission For Backward Classes. "338B. (1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes.

- (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.
- (3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
- (4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.
- (5) It shall be the duty of the Commission—
 - (a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;
 - (b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes;
 - (c) to participate and advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;
 - (d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

- (e) to make in such reports the recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes; and
 - (f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the socially and educationally backward classes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.
- (6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.
- (7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.
- (8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
 - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
 - (f) any other matter which the President may, by rule, determine.

[श्रीमती छाया वर्मा]

- (9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting socially and educationally backward classes."

The House divided.

MR. CHAIRMAN : Ayes : 161

Noes: Nil.

AYES—161

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Arjunan, Shri K. R.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Azad, Shri Ghulam Nabi

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyam, Shri S. R.

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Bhunia, Shri Manas Ranjan

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chavan, Shrimati Vandana

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Daimary, Shri Biswajit
Dalwai, Shri Husain
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh
Dudi, Shri Ram Narain
Elangovan, Shri T. K. S.
Fernandes, Shri Oscar
Ganguly, Shrimati Roopa
Gehlot, Shri Thaawarchand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Gowda, Prof. M. V. Rajeev
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Gupta, Shri Manish
Hanumanthaiah, Dr. L.
Haque, Shri Md. Nadimul
Hariprasad, Shri B. K.
Harivansh, Shri
Hassan, Shri Ahamed
Hembram, Shrimati Sarojini
Hussain, Shri Syed Nasir
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Prof. Manoj Kumar
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Ketkar, Shri Kumar
Kore, Dr. Prabhakar
Lakshmanan, Dr. R.
Mahatme, Dr. Vikas
Maitreya, Dr. V.
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsher Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Misra, Shri Satish Chandra
Mistry, Shri Madhusudan
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O'Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Praful
Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prasad, Shri Ravi Shankar
Puri, Shri Hardeep Singh
Ragesh, Shri K. K.
Raja, Shri D.
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri C. M.
Ramesh, Shri Jairam
Rane, Shri Narayan
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Dr. K. Keshava
Rathinavel, Shri T.
Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar
Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Saini, Shri Madanlal
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Selvaraj, Shri A. K.
Sen, Ms. Dola
Sen, Dr. Santanu
Seth, Shri Sanjay
Shah, Shri Amit Anil Chandra
Shakal, Shri Ram
Shekhar, Shri Neeraj
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Sanjay
Singh, Shri Veer
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika
Soni, Shri Kailash
Suresh Gopi, Shri
Syiem, Shrimati Wansuk
Tamta, Shri Pradeep
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Shri Ram Nath
Tlau, Shri Ronald Sapa
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Uikey, Shrimati Sampatiya
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vats, Dr. D.P.
Venkatesh, Shri T. G.
Verma, Shrimati Chhaya
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijayakumar, Shri A.
Vijila Sathyananth, Shrimati
Viswam, Shri Binoy
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Shri Harnath Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yajnik, Dr. Amee

NOES - NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister, Shri Thaawarchand Gehlot, to move that the Bill, as amended by the amendment agreed to, be passed.

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि विधेयक, सम्मत संशोधनों द्वारा यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill, as amended by the amendments agreed to, be passed.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Ayes : 161

Noes: Nil

AYES —161

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Arjunan, Shri K. R.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Azad, Shri Ghulam Nabi

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Balasubramoniyam, Shri S. R.
Baluni, Shri Anil
Banda Prakash, Dr.
Banerjee, Shri Ritabrata
Bhattacharya, Shri P.
Bhunder, Sardar Balwinder Singh
Bhunia, Shri Manas Ranjan
Biswas, Shri Abir Ranjan
Bora, Shri Ripun
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chavan, Shrimati Vandana
Chhatrapati, Shri Sambhaji
Chhetri, Shrimati Shanta
Chidambaram, Shri P.
Daimary, Shri Biswajit
Dalwai, Shri Husain
Dasgupta, Shri Swapan
Desai, Shri Anil
Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh
Dudi, Shri Ram Narain
Elangovan, Shri T. K. S.
Fernandes, Shri Oscar
Ganguly, Shrimati Roopa
Gehlot, Shri Thaawarchand
Goel, Shri Vijay
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Gowda, Prof. M. V. Rajeev
Goyal, Shri Piyush
Gujral, Shri Naresh
Gupta, Shri Manish
Hanumanthaiah, Dr. L.
Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.
Harivansh, Shri
Hassan, Shri Ahamed
Hembram, Shrimati Sarojini
Hussain, Shri Syed Nasir
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jadhav, Dr. Narendra
Jain, Dr. Anil
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Prof. Manoj Kumar
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Kalita, Shri Bhubaneswar
Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri
Kardam, Shrimati Kanta
Kashyap, Shri Ram Kumar
Ketkar, Shri Kumar
Kore, Dr. Prabhakar
Lakshmanan, Dr. R.
Mahatme, Dr. Vikas
Maitreyan, Dr. V.
Malik, Shri Shwait
Mandaviya, Shri Mansukh
Manhas, Shri Shamsher Singh
Mansingh, Dr. Sonal
Mathur, Shri Om Prakash
Meena, Dr. Kirodi Lal
Misra, Shri Satish Chandra
Mistry, Shri Madhusudan
Muraleedharan, Shri V.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nanda, Shri Prashanta

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Navaneethakrishnan, Shri A.
Nekkanti, Shri Bhaskar Rao
Netam, Shri Ram Vichar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
O'Brien, Shri Derek
Oraon, Shri Samir
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandey, Ms. Saroj
Patel, Shri Ahmed
Patel, Shri Praful
Perween, Shrimati Kahkashan
Poddar, Shri Mahesh
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prasad, Shri Ravi Shankar
Puri, Shri Hardeep Singh
Ragesh, Shri K. K.
Raja, Shri D.
Rajbhar, Shri Sakaldeep
Ramamurthy, Shri K. C.
Ramesh, Shri C. M.
Ramesh, Shri Jairam
Rane, Shri Narayan
Rangarajan, Shri T.K.
Rao, Shri G.V.L. Narasimha
Rao, Dr. K. Keshava
Rathinavel, Shri T.
Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Rupala, Shri Parshottam
Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.
Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota
Saini, Shri Madanlal
Selvaraj, Shri A. K.
Sen, Ms. Dola
Sen, Dr. Santanu
Seth, Shri Sanjay
Shah, Shri Amit Anil Chandra
Shakal, Shri Ram
Shekhar, Shri Neeraj
Shukla, Shri Shiv Pratap
Singh, Shri Ajay Pratap
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Chaudhary Birender
Singh, Shri Gopal Narayan
Singh, Shri K. Bhabananda
Singh, Shri Ram Chandra Prasad
Singh, Shri Sanjay
Singh, Shri Veer
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Rakesh
Somaprasad, Shri K.
Soni, Shrimati Ambika
Soni, Shri Kailash
Suresh Gopi, Shri
Syiem, Shrimati Wansuk
Tamta, Shri Pradeep
Tendulkar, Shri Vinay Dinu
Thakur, Dr. C.P.
Thakur, Shri Ram Nath
Tlau, Shri Ronald Sapa
Tomar, Shri Vijay Pal Singh
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vats, Dr. D.P.
Venkatesh, Shri T. G.
Verma, Shrimati Chhaya
Verma, Shri Ramkumar
Verma, Shri Ravi Prakash
Vijayakumar, Shri A.
Vijila Sathyananth, Shrimati
Viswam, Shri Binoy
Yadav, Shri B. Lingaiah
Yadav, Shri Bhupender
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Harnath Singh
Yadav, Prof. Ram Gopal
Yadav, Ch. Sukhram Singh
Yajnik, Dr. Ameer

NOES - NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. CHAIRMAN: On the 31st July, 2017, National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017 was discussed together with the Constitution (123rd) Amendment Bill, 2017. However, the motion for the consideration of the Bill was not taken up for adoption. I shall now put the motion for consideration of the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017 to vote.

The question is:

That the Bill to repeal the National Commission for Backward Classes Act, 1993, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up clause 1. In Clause 1, there is one Amendment; Amendment (No. 2) by the Minister.

CLAUSE 1 - SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "2017" के स्थान पर अंक "2018" प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up the Enacting Formula. In the Enacting Formula, there is one Amendment; Amendment (No. 1) by the Minister.

ENACTING FORMULA

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "अड़सठवें" शब्द के स्थान पर "उनहत्तरवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted. The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि विधेयक, सम्मत संशोधनों द्वारा यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Clear the Lobbies. Now, The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018; Shri Kiren Rijju.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I wish to make just one point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no; please. ...*(Interruptions)*... The Minister has not even moved the Bill. Please note, it is a good thing that there is total unanimity, but see the number. I don't want to make any comment. Now, Shri Kiren Rijju would move the motion for consideration of The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018.